महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः C-1561 / नि0म0क0 / प्रो0बे0 / मि0वा0 / 2023–24

लखनऊः दिनांकः 10 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2023

**विषयः–भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित 'मिशन वात्सल्य' योजना (पूर्व नाम–बाल संरक्षण सेवायें) के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।**

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक, ''बाल संरक्षण सेवायें'' योजना उत्तर प्रदेश में वर्ष 2010 से संचालित थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण तथा विकास से संबंधित समस्त योजनाओं और कार्यक्रमों को **''मिशन वात्सल्य''** (अम्ब्रेला स्कीम) योजना के अंतर्गत शामिल कर क्रियान्वित किये जाने हेतु आधिकारिक अधिसूचना पत्रांक सं0 CW-II-22/6/2022-CW-II(e-99580) दिनांक 05 जुलाई 2022 **(संलग्नक – 1)** के माध्यम से जारी किया है। जिसके अंतर्गत ''बाल संरक्षण सेवायें'' योजना का नाम परिवर्तित करते हुये भविष्य में ''मिशन वात्सल्य'' नाम से संचालित किये जाने हेतु नवीन गाइडलाइन जारी की गयी हैं तथा इस योजनान्तर्गत सभी घटकों में फण्डिंग पैटर्न 60:40 (केन्द्रांश + राज्यांश) के अनुपात में निर्धारित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–709 / 60–1–2023–60–1099 / 134 / 2022, दिनांक 17 जुलाई 2023 **(संलग्नक – 2)** के द्वारा भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित मिशन वात्सल्य योजना की नवीन गाइडलाइन दिनांक 05 / 07 / 2022 को तात्कालिक प्रभाव से अंगीकृत कर लिया गया है तथा उपरोक्त शासनादेश के क्रम में **मिशन वात्सल्य से संबंधी सभी वित्तीय प्रावधान दिनांक 17 जुलाई 2023 से प्रदेश में लागू किये गये है।** 'मिशन वात्सल्य' योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीन दिशा–निर्देशों को इन शर्तों के साथ प्रदेश में अंगीकार किया गया है कि कार्मिकों तथा उनकी देयताओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार के कार्मिक, वित्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, सार्वजनिक उद्यम, औद्योगिक विकास एवं श्रम विभाग के नियमों का यथावत पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

'मिशन वात्सल्य' योजना किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संशोधित, 2021) के प्रावधानों के अनुसार देख–रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि से संर्घषरत् बच्चों बच्चों के संरक्षण, कल्याण एवं पुनर्स्थापन को सुनिश्चित करने हेतु एक समेकित प्रयास है।

उपरोक्त संर्दभ में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संशोधित 2021) के मार्गदर्शक सिद्धांत यह स्पष्ट करते है कि बच्चों को संस्थागत देखरेख में स्थान देना अंतिम उपाय होना चाहिये। इसी आशय से, अधिनियम और उसके अंतर्गत

बनाए गए नियमों व मिशन वात्सल्य के अंर्तगत बच्चों हेतु संस्थागत देखरेख के साथ–साथ प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप), पालक देखभाल (फॉस्टर केयर), पाश्चातवर्ती देखभाल (ऑफ्टरकेयर), दत्तकग्रहण (एडॉप्शन) तथा परिवार और समुदाय आधारित गैर–संस्थागत देखरेख जैसे विकल्पों को प्राथमिकता दी गई है। **उपरोक्त के अतिरिक्त, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मिशन वात्सल्य की नवीन गाइडलाइन में दिये गये विस्तृत प्रावधान यथा संस्थागत देखभाल, गैर–संस्थागत देखभाल, कनवर्जेन्स्, संस्थागत ढॉचे, नवाचार, जिला बाल संरक्षण इकाई की संरचना, आदि संलग्नक (कुल 12 संलग्नक) के रूप में आपको प्रेषित हैं।**

उपर्युक्त विषयक पूर्व में बाल संरक्षण सेवायें योजना से संबंधित अन्य समस्त दिशानिर्देश मिशन वात्सल्य के क्रियान्वयन हेतु इस सीमा तक संशोधित व प्रभावी माने जायेंगें।

अतः उपरोक्त संबंध में कृपया आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(संदीप कौर)
निदेशक।

**पृष्ठांकन एवं संलग्नक यथोक्त।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. किशोर न्याय समिति, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय, वित्त, गृह, महिला एवं बाल विकास, बाल विकास एवं पुष्टाहार, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, आयुष, श्रम, पंचायती राज, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण, दिव्यांगजन कल्याण, इलैक्ट्रॉनिक्स, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण अजिविका मिशन, उ0प्र0कौशल विकास मिशन, उ0प्र0 शासन, उ0प्र0।
3. मा0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उ0प्र0।
4. सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उ0प्र0।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस, लखनऊ।
6. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त मा0 जनपद न्यायाधीश, उ0प्र0।
8. समस्त मंडलीय उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण, उ0प्र0।
9. समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त किशोर न्याय बोर्ड, द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी, उ0प्र0।
11. समस्त बाल कल्याण समिति, द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी, उ0प्र0।
12. गार्ड फाइल

(पुनीत कुमार मिश्रा)
उप निदेशक।

बनाए गए नियमों व मिशन वात्सल्य के अंर्तगत बच्चों हेतु संस्थागत देखरेख के साथ–साथ प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप), पालक देखभाल (फॉस्टर केयर), पाश्चातवर्ती देखभाल (ऑफ्टरकेयर), दत्तकग्रहण (एडॉप्शन) तथा परिवार और समुदाय आधारित गैर–संस्थागत देखरेख जैसे विकल्पों को प्राथमिकता दी गई है। **उपरोक्त के अतिरिक्त, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मिशन वात्सल्य की नवीन गाइडलाइन में दिये गये विस्तृत प्रावधान यथा संस्थागत देखभाल, गैर–संस्थागत देखभाल, कनवर्जेन्स्, संस्थागत ढॉचे, नवाचार, जिला बाल संरक्षण इकाई की संरचना, आदि संलग्नक (कुल 12 संलग्नक) के रूप में आपको प्रेषित हैं।**

उपर्युक्त विषयक पूर्व में बाल संरक्षण सेवायें योजना से संबंधित अन्य समस्त दिशानिर्देश मिशन वात्सल्य के क्रियान्वयन हेतु इस सीमा तक संशोधित व प्रभावी माने जायेंगें।

अतः उपरोक्त संबंध में कृपया आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(संदीप कौर)
निदेशक।

**पृष्ठांकन एवं संलग्नक यथोक्त।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. किशोर न्याय समिति, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय, वित्त, गृह, महिला एवं बाल विकास, बाल विकास एवं पुष्टाहार, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, आयुष, श्रम, पंचायती राज, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण, दिव्यांगजन कल्याण, इलैक्ट्रॉनिक्स, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण अजिविका मिशन, उ0प्र0कौशल विकास मिशन, उ0प्र0 शासन, उ0प्र0।
3. मा0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उ0प्र0।
4. सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उ0प्र0।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस, लखनऊ।
6. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त मा0 जनपद न्यायाधीश, उ0प्र0।
8. समस्त मंडलीय उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण, उ0प्र0।
9. समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त किशोर न्याय बोर्ड, द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी, उ0प्र0।
11. समस्त बाल कल्याण समिति, द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी, उ0प्र0।
12. गार्ड फाइल

(पुनीत कुमार मिश्रा)
उप निदेशक।

संलग्नक -1

इंद्रा मालो, भा.प्र.से.
संयुक्त सचिव
**INDRA MALLO (IAS)**
Joint Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
SHASTRI BHAWAN
NEW DELHI-110 001 (INDIA)
Ph. : 91-11-23070611, 23070672
E-mail : indra.mallo@ias.nic.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

D.O. No. CW-II-22/6/2022-CW-II (e-99580)

05th July, 2022

Dear Sir/Madam,

As you may be aware that the Ministry of Women and Child Development is implementing a Centrally Sponsored Scheme "Mission Vatsalya" erstwhile Child Protection Services (CPS) Scheme, since 2009-10 for the welfare and rehabilitation of children in difficult circumstances. All the States/UTs have signed the Memorandum of Undertaking (MoU) with the Ministry for implementation of the Scheme.

2. I would like to inform you that the guidelines for implementation of Mission Vatsalya have been approved by the competent authority. I would like to share these guidelines of the Mission Vatsalya Scheme indicating financial norms for different components of the Scheme. The norms of Mission Vatsalya will be applicable from 01st April, 2022.

3. I would, therefore, request you to prepare your financial proposal and plans for the year 2022-23 under Mission Vatsalya Scheme on the basis of financial norms of Guidelines. Detailed documents/ norms of Mission Vatsalya Scheme will also be available on the Ministry's Website i.e. wcd.nic.in.

With regards.

Yours sincerely,

5/7/2022

(Indra Mallo)

To,

All States Governments /UTs Administrations

संलग्नक-2

संख्या–709/60–1–2023–60–1099/134/2022

प्रेषक,

अनामिका सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 7 जुलाई, 2023

विषय–भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित 'मिशन वात्सल्य योजना' (पूर्व नाम–बाल संरक्षण योजना) की नवीन गाइडलाइन को अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित 'मिशन वात्सल्य योजना' की नवीन गाइडलाइन दिनांक 05.07.2022 को तात्कालिक प्रभाव से अंगीकार करते हुये निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

(i) योजनान्तर्गत कर्मचारियों तथा उनकी देयताओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार के कार्मिक, वित्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, सार्वजनिक उद्यम, औद्योगिक विकास एवं श्रम विभाग के नियमों का यथावत पालन सुनिश्चित किया जाय।

(ii) राजकीय संस्थाओं में निवासरत बच्चों के भरण–पोषण पर प्रतिमाह प्रति बच्चे व्यय होने वाली धनराशि रू0–4,000/– की भाँति स्वैच्छिक संगठनों में समस्त प्रकार के गृहों में निवासरत बच्चों के भरण–पोषण पर भी प्रतिमाह प्रति बच्चे पर रू0–4,000/– की धनराशि व्यय की जाय।

(iii) राजकीय बाल गृहों में रहने वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं यथा–स्वास्थ्य, शिक्षा, भरण–पोषण आदि के समान स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित बाल गृहों के बच्चों की सुविधाओं का भी मानकीकरण किया जाय।

(iv) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित बाल गृहों के बच्चों की संख्या का नियमित रूप से सत्यापन कराये जाने की व्यवस्था की जाय, ताकि शासन द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि का दुरूपयोग न हो सके।

(v) योजनान्तर्गत फण्डिंग पैटर्न एवं कर्मचारियों के मानदेय में 03 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि किये जाने हेतु आवश्यक वित्तीय नियमों एवं भारत सरकार तथा राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों का पालन किया जाय।

(vi) राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थानों एवं एन0जी0ओ0 द्वारा संचालित संस्थाओं के संचालन मानक यथा–कार्मिकों की योग्यता, संख्या, मानदेय आदि में समरूपता रखी जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन



Scanned with OKEN Scanner

संस्थाओं के निरीक्षण, संचालन तथा भोजन आदि की व्यवस्था योजनान्तर्गत निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार ही हो।

(vii) योजना की गाइडलाइन के अनुसार पद सृजन, भर्ती एवं योग्यता/मानदेय के सम्बन्ध में कार्यवाही कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति/परामर्श से की जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तात्कालिक प्रभाव से अंगीकृत 'मिशन वात्सल्य योजना' की नवीन गाइडलाइन दिनांक 05.07.2022 (प्रति संलग्न) के सम्बन्ध में लिए गये उपर्युक्त निर्णय के आलोक में यथा आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
सचिव।

uscamp/2022/ go

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक – 3

## संस्थागत देखरेख सेवायें

प्रदेश सरकार, स्वयं या स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से प्रत्येक जनपद या विभिन्न जनपदों के मध्य देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन – सी0एन0सी0पी0) तथा विधि से संघर्षरत् (चिल्ड्रेन इन कॉनफिल्क्ट विथ लॉ – सी0सी0एल0) बच्चों की देखरेख हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से बाल देखरेख संस्थायें/गृह (चाइल्ड केयर इन्सिटीटयूशन – सी0सी0आई0) स्थापित व संचालित करेगी। इन गृहों के माध्यम से प्राप्त बच्चों को मुख्यधारा से जोडने, उनके सर्वांगीण विकास, पुर्नएकीकरण और पुर्नवास हेतु उन्हें आश्रय, घर जैसे वातावरण में देखभाल, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पौष्टिक भोजन, शिक्षा, चिकित्सा, कौशल प्रशिक्षण, खेलकूद व मनोरंजन, जीवन कौशल आदि की निःशुल्क सुविधायें प्रदान की जायेंगीं। नवीन गृहों के निर्माण हेतु स्थान चयन करने से पूर्व उनकी औपचारिक शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण तथा खेलकूद आवश्यकताओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा। मिशन के अंतर्गत जनपदों में निम्नलिखित प्रकार के **बाल देखरेख गृहों का संचालन/स्थापना** की जायेगीः

| क्र0 | बच्चों की श्रेणी | बाल देखरेख संस्था का प्रकार |
|---|---|---|
| 01 | देखरेख व आवश्यकता वाले बच्चों हेतुः | विशेषीकृत दत्तकग्रहण ईकाई |
| | | बाल गृह – शिशु, बालक, बालिका, दिव्यांग बच्चों हेतु। |
| | | खुले आश्रय गृह – शिशु, बालक, बालिका, दिव्यांग बच्चों हेतु। |
| 02 | कानून के साथ संघर्षरत् बच्चों हेतु | संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, प्लेस ऑफ सेफ्टी। |
| 03 | उपरोक्त दोनो श्रेणियों के बच्चों हेतु समेकित गृह | वात्सल्य सदन। |

उपरोक्त समस्त गृहों के साथ– साथ मिशन के अंर्तगत कार्यरत् समस्त ईकाईयों हेतु वार्षिक स्वच्छता एक्शन प्लान निर्धारित किया जायेगा तथा निरंतर अंतराल पर सक्षम अधिकारियों द्वारा इसकी समीक्षा की जायेगी। **वार्षिक स्वच्छता एक्शन प्लान** हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् हैंः

- संस्थाओं में बच्चों और कार्मिको की व्यक्तिगत स्वच्छता पर केंद्रित गतिविधियाँ, जैसे नाखून काटना, हाथ धोना और कूलर, अलमारी की साफ–सफाई।
- बच्चों को नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोकर साफ–सुथरा हाथ बनाए रखने हेतु प्रोत्साहन।
- विशेष रूप से अक्सर छुई जाने वाली सतहों की उचित सफाई/सैनेटाइजेशन।
- परिसर का धूम्रीकरण और भंडारण टैंकों की नियमित सफाई भी की जानी चाहिए।
- नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल का प्रावधान।

- वॉशरूम में हैंड सैनिटाइजर, साबुन और बहते पानी की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना।
- जल, स्वच्छता और हाइजीन पर अभिमुखिकरण।
- यह सुनिश्चित करना कि शौचालय पर्याप्त संख्या में, सुलभ और बच्चों के अनुकूल हों।
- न्यूट्री–किचन गार्डन विकसित करना और वृक्षारोपण अभियान आयोजित करना।
- स्वास्थ्य, स्वच्छता और साफ–सफाई पर समूह चर्चा का आयोजन।
- "कचरे से सर्वोत्तम" विषय पर कला और शिल्प गतिविधियों का आयोजन।
- वेबसाइटों पर और सभी संस्थाओं की दीवारों में स्वच्छता संदेश संबंधित पेंटिंग का प्रदर्शन।
- एकल–उपयोग प्लास्टिक के उपयोग में कमी को प्रोत्साहित करना और कार्यालयों में इसके उपयोग को हतोत्साहित करना।
- बाल समिति द्वारा कमरों, शौचालयों, भोजन, कपड़ों आदि की साफ–सफाई का निरीक्षण।
- खाना पकाने हेतु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अपशिष्ट पदार्थों के उपयोग की खोज करना।
- स्वास्थ्य, सैनेटाइजेशन और स्वच्छता पर वेबिनार, कार्यशालाएं, फिल्म शो और कविता प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन करना।
- विशेष पखवाडों का आयोजन।
- सूचना प्रसार और तैयारियों की समीक्षा हेतु क्षेत्रीय संरचनाओं के साथ बैठकों का आयोजन।
- जागरूकता हेतु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि) का उपयोग करना।
- समय–समय पर जारी किए गए किसी भी अन्य प्रासंगिक निर्देशों का पालन करना।
- जनपद स्तरीय अन्य गतिविधियों को उक्त प्लान में शामिल कर उनका क्रियान्वयन।

समस्त राजकीय तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित गृहों में निवासरत **बच्चों के भरण–पोषण** पर प्रतिमाह प्रति बच्चा रू0–4,000/– की धनराशि देय होगी। समस्त संस्थाओं में निवासरत् बच्चों के श्रेणी विशेष तथा उनकी आयु के अनुसार उनके शारिरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास हेतु ग्रहण किये जाने वाले आहार की उनकी आवश्यकतायें भिन्न होती है।

इसी के दृष्टिगत विशेषज्ञों से परामर्श उपरांत उपरोक्त समस्त गृहों हेतु मिलेट व प्रोटीन युक्त न्यूनतम भोजन मेन्यू निर्धारित किया गया है, जनपदों द्वारा आवश्यकतानुसार इसमें आंशिक बदलाव किये जा सकते हैं। समस्त गृहों द्वारा निम्नलिखित मेन्यू का अनुपालन किया जायेगा:

## 06 से 11 माह के शिशुओं हेतु भोजन का मैन्यू

| समय | सोमवार | मंगलवार | बुधवार | बृहस्पतिवार | शुक्रवार | शनिवार | रविवार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नाश्ता प्रातः 08:00 बजे | दलिया दूध के साथ | सूजी खिचड़ी मौसमी सब्जी के साथ। | दलिया की खिचड़ी (हरा पत्तेदार सब्जी के साथ)। | अंकुरित दाल, मंगफली मिश्रण / पोहा खीर (दूध के साथ)। | दलिया खिचड़ी मौसमी सब्जी के साथ। | अंकुरित दाल, मंगफली मिश्रण / पोहा खीर (दूध के साथ)। | दाल चालव की खिचड़ी। |
| दोपहर भोजन 01:00 बजे | दाल, चावल, सब्जी की खिचड़ी। | साबूदाना खीर (गुड़ के साथ) | मुरमुरा लप्सी दूध के साथ। | दलिया मौसमी सब्जी के साथ | साबूदाना खीर (गुड़ के साथ) | सूजी का हलवा / सूजी का उपमा। | नमकीन दलिया मौसमी सब्जी के साथ। |
| सांय नाश्ता 04:00 बजे | मसले हुये मौसमी फल (केल / सेब / पपीता / आम) एवं बाजरे का लड्डू – 1 (25 ग्रा0) | | | | | | |
| रात्रि भोजन 08:00 बजे। | दूध रोटी का मिश्रण | सोयाबीन दलिया मौसमी सब्जी के साथ। | चावल दाल खिचड़ी एवं उबला हुआ अण्डा। | सूजी लप्सी मूगफली के साथ | सूजी का उपमा मौसमी सब्जी के साथ। | दूध रोटी का मिश्रण | सूजी का हलवा / उपमा चटनी के साथ, एक उबला अण्डा |

## 01 से 03 वर्ष के शिशुओं हेतु भोजन का मैन्यू

| समय | सोमवार | मंगलवार | बुधवार | बृहस्पतिवार | शुक्रवार | शनिवार | रविवार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नाश्ता प्रातः 08:00 बजे (आधी कटोरी =125 ग्राम | एक सब्जी चीला+ आधी कटोरी दही | आधी कटोरी सब्जी, पोहा+ आधी कटोरी दही। | आधी कटोरी दाल, सब्जी, उपमा (मौसमी सब्जी के साथ)+आधी कटोरी दही। | एक सब्जी पराठा, आधी कटोरी दही। | आधी कटोर दलिया खिचड़ी (मौसमी सब्जी के साथ)+आधी कटोरी दही। | एक बेसन / मक्का का पराठा+ आधी कटोरी दही। | सत्तू पराठा+ आधी कटोरी दही+रागी लड्डू गुड़ के साथ। |
| मध्य सुबह 10:30 बजे | एक मौसमी फल एवं अंकुरित चना / मूंग | | | | | | |
| दोपहर भोजन 01:00 बजे (01 कटोरी= 250 ग्राम, आधी कटोरी= 125 ग्राम) | एक कटोरी दाल चावल की खिचड़ी (हरे पत्तेदार सब्जी के साथ)+ | एक कटोरी चावल / एक रोटी+ आधी कटोरी राजमा करी+ सलाद। | एक कटोरी वेज पुलाव मौसमी सब्जी के साथ+ अण्डा करी एक पीस / | एक कटोरी चावल / एक रोटी+आधी कटोरी मिक्स दाल+ सलाद। | एक कटोरी चावल / एक रोटी+आधी कटोरी मौसमी सब्जी+एक उबला अण्डा / अंकुरित | एक कटोरी चावल / एक रोटी+ आधी कटोरी छोले की सब्जी+ | एक कटोरी तहड़ी (मौसमी सब्जी व सोयाबीन बड़ी के साथ+ आधी |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आधी कटोरी सोयाबीन की सब्जी+सलाद | | पनीर करी+सलाद। | | चना मूंग। | सलाद। | कटोरी रायता+ सलाद) |
| सांय नाश्ता 04:00 बजे | एक गिलास मीठी/नमकीन लस्सी/एक गिलास बेल का शरबत/एक गिलास सत्तू का शरबत। (एक गिलास=100 मि0ली0) बाजरे का लड्डू – 2 (25 ग्रा0) | | | | | | |
| रात्रि भोजन 08:00 बजे। (01 कटोरी= 250 ग्राम, आधी कटोरी= 125 ग्राम, 01 गिलास दूध=200 मि0ली0) | एक रोटी +आधी कटारी पनीर की सब्जी+ एक उबला अण्डा। | आधी कटोरी सोयाबीन दलिया (सब्जी के साथ+ एक गिलास दूध) | बेसन की रोटी (सब्जी के साथ)+ आधी कटोरी साबूदाना खीर। | आधी कटोरी खिचड़ी सब्जी के साथ+एक गिलास दूध। | एक रोटी+आधी कटोरी मूंग की दाल+एक गिलास दूध | एक रोटी + आधी कटोरी हरी सब्जी+ एक गिलास दूध। | एक रोटी+एक अण्डा करी/पनीर करी। दूध वाली सूजी खीर। |
| आयरन सिरप हफ्ते में दो दिन (हर बार 01 मि0ली0) | | | | | | | |

## 03 से 06 वर्ष के शिशुओं हेतु भोजन का मैन्यू

| समय | सोमवार | मंगलवार | बुधवार | बृहस्पतिवार | शुक्रवार | शनिवार | रविवार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नाश्ता प्रातः 08:00 बजे (आधी कटोरी =125 ग्राम | एक सब्जी चीला+ आधी कटोरी दही | आधी कटोरी सब्जी, पोहा+ आधी कटोरी दही। | आधी कटोरी सूजी उपमा (मौसमी सब्जी के साथ)+ आधी कटोरी दही। | एक सब्जी पराठा, आधी कटोरी दही। | आधी कटोरी दलिया खिचड़ी (मौसमी सब्जी के साथ) +आधी कटोरी दही। | एक बेसन/मक्का का पराठा+ आधी कटोरी दही। | सत्तू पराठा+ आधी कटोरी दही |
| मध्य सुबह 10:30 बजे | एक मौसमी फल एवं अंकुरित चना /मूंग | | | | | | |
| दोपहर भोजन 01:00 बजे (01 कटोरी=250 ग्राम, आधी कटोरी=125 ग्राम) | एक कटोरी दाल चावल की खिचड़ी (हरे पत्तेदार सब्जी के साथ)+ आधी | एक कटोरी चावल/दो रोटी+ आधी कटोरी राजमा करी+ सलाद। | एक कटोरी वेज पुलाव मौसमी सब्जी के साथ+ अण्डा करी एक पीस/ पनीर | एक कटोरी चावल/ दो रोटी+ आधी कटोरी मिक्स दाल+ सलाद। | एक कटोरी चावल/ दो रोटी+ आधी कटोरी मौसमी सब्जी+ एक | एक कटोरी चावल/दो रोटी+ आधी कटोरी छोले की सब्जी+ सलाद। | एक कटोरी तहड़ी (मौसमी सब्जी व सोयाबडी साथ+ आधी कटोरी रायता+ सलाद) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कटोरी सोयाबीन की सब्जी+ सलाद | | करी+ सलाद। | | उबला अण्डा/ अंकुरित चना मूंग। | | |
| सांय नाश्ता 04:00 बजे | एक गिलास मीठी/नमकीन लस्सी/एक गिलास बेल का शरबत/एक गिलास सत्तू का शरबत। (एक गिलास=200 मि0ली0) एवं बाजरे का लड्डू – 1 (25 ग्रा0) | | | | | | |
| रात्रि भोजन 08:00 बजे। (01 कटोरी=250 ग्राम, आधी कटोरी=125 ग्राम, 01 गिलास दूध=200 मि0ली0) | दो रोटी +आधी कटारी पनीर की सब्जी+एक उबला अण्डा। | एक कटोरी सोयाबीन दलिया (सब्जी के साथ+ एक गिलास दूध) | दो बेसन की रोटी (सब्जी के साथ)+आधी कटोरी साबूदाना खीर। | एक कटोरी खिचड़ी सब्जी के साथ+एक गिलास दूध। | दो रोटी+आधी कटोरी मूंग की दाल+एक गिलास दूध | दो रोटी +आधी कटारी हरी सब्जी+एक गिलास दूध। | दो रोटी+एक अण्डा करी/पनीर करी+आधी कटोरी खीर। |
| 3–5 वर्ष के बच्चों को हफ्ते में दो दिन आयरन सिरप दें। हर बार 01 मि0ली0 | | | | | | | |

## 6 वर्ष से अधिक के बालक/बालिकाओं हेतु भोजन का मैन्यू

| समय | सोमवार | मंगलवार | बुधवार | बृहस्पतिवार | शुक्रवार | शनिवार | रविवार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नाश्ता प्रातः 08:00 बजे | आलू पराठा (अजवाइन, नमक) चटनी (धनिया/पुदीना/टमाटर), चाय। | पूड़ी (नमक, अजवाइन) चना घुघनी, एक मीठा, चाय। | पराठा स्टफ (प्याज/मूली/सत्तू) एक उबला अण्डा/अंकुरित चना या मूग एवं चाय। | बेसन का चीला/मक्का पराठा, दही चीनी के साथ, एक मीठा एवं चाय। | पोहा/उपमा, एक उबला अण्डा/अंकुरित चना या मूग तथा चाय। | सूजी हलवा, उबला नमकीन चना तथा चाय। | बेसन पकौड़ा (प्याज/पालक/ब्रेड), दूध 200 मि0ली0, तथा चाय। |
| मध्य सुबह 10:30 बजे | एक मौसमी फल। | | | | | | |
| दोपहर भोजन 01:00 बजे | चावल, रोटी, अरहर दाल, सूखी सब्जी आलू के साथ, एक उबला अण्डा/अंकुरित चना या मूंग, तथा चटनी। | रोटी, चावल, कढ़ी, सलाद, पापड़ एवं अचार। | रोटी, चावल, राजमा, सलाद एवं अचार। | रोटी, चावल, सांभर, सलाद एवं चटनी। | बाटी/लिट्टी, चावल, मिक्स दाल, आलू चोखा, चटनी एवं सलाद। | खिचड़ी/तहडी, रायता, चटनी, सलाद एवं पापड़। | रोटी, चावल, मटर छोले, बूदीं/खीरा का रायता, सलाद एवं अचार। |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सांय नाश्ता 04:00 बजे | इडली/ वड़ा, नारियल की चटनी एवं चाय। बाजरे का लड्डू 2 प्रति 25 ग्रा0। | पोहा एव चाय। बाजरे का लड्डू 2 प्रति 25 ग्रा0। | लइया चना, चाय/ मटठा/शिकंजी। बाजरे का लड्डू 2 प्रति 25 ग्रा0। | फ्राइड पोहा (मूंगफली एवं प्याज के साथ) एवं चाय। बाजरे का लड्डू 2 प्रति 25 ग्रा0। | समोसा, चटनी एवं चाय। बाजरे का लड्डू 2 प्रति 25 ग्रा0। | बन्द मक्खन/ रस्क एवं चाय। बाजरे का लड्डू 2 प्रति 25 | मोमोज/ मैकोनी, चटनी एवं चाय। बाजरे का लड्डू 2 प्रति 25 ग्रा0। |
| रात्रि भोजन 08:00 बजे। | रोटी, वेज कोफ्ता, अचार, दूध 200 मि0ली0 | रोटी, मौसमी सब्जी (आलू के साथ), सलाद, दूध 200 मि0ली0 | रोटी, मटर पनीर, सलाद, चटनी एवं दूध 200 मि0ली0 | रोटी, वेज मन्चूरियन/ कोफ्ता, पापड़, दूध 200 मि0ली0 | रोटी, सोया बड़ी की सब्जी, सलाद, पापड़ एवं दूध 200 मि0ली0 | रोटी, पिण्डी चना के छोले, सलाद, अचार एवं दूध 200 मि0ली0 | मटर पुलाव, रोटी, अण्डा करी (02 अण्डे)/ शाही पनीर, सलाद। |

- 5 –10 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में एक आयरन की गोली खिलाएं, रात में सोने के पहले।
- 10 – 18 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में एक आयरन की गोली खिलाएं, रात में सोने के पहले।
- गर्भवती /धात्री माताओं को प्रतिदिन एक आयरन की गोली खिलाएं, रात में सोने के पहले।
- ऐनेमिक गर्भवती /धात्री माताओं को प्रतिदिन दो आयरन की गोलीं, सुबह एवं रात में सोने के पहले।
- गर्भवती /धात्री माताओं को प्रतिदिन कैल्शियम की गोली खिलाएं।
- सभी गोलियां स्वस्थ्य विभाग से प्राप्त की जा सकती हैं।

## गर्भवती, धात्री व ऐनेमिक माँ हेतु विशेष भोजन तालिका

| समय | व्यंजन |
|---|---|
| 7.00 बजे सुबह | गर्भवती को बिस्कुट एवं धात्री को दूध व मेवे के लड्डू |
| 8.00 बजे सुबह | मेनू अनुसार प्रातः नास्ता |
| 10.00 बजे सुबह | मौसमी फल अंडा व दूध |
| 11.00 बजे सुबह | दाल (पालक व घी डाली हुई) |
| 1.30 बजे दोपहर | मेनू अनुसार दोपहर का भोजन |
| 3.00 बजे दोपहर | सूप (पालक/टमाटर/गाजर/चुकंदर) |
| 4.30 बजे सांय | मेनू अनुसार शाम का नास्ता |
| 6.00 बजे सांय | दूध (प्रोटीन पाउडर के साथ) |
| 8.00 बजे रात्रि | मेनू अनुसार रात का भोजन |

**राष्ट्रीय एवं धार्मिक त्योहारों, जन्मदिवसों पर विशेष भोजन (दोपहर/रात का भोजन का मेनू):**

पूड़ी/कचोरी/भरवा पूड़ी, मटर पुलाव/वेज पुलाव/पनीर मटर पुलाव/वेज बिरयानी, सूखी सब्ज़ी (मौसमी वेज मिक्स), मटर पनीर मसाला/शाही पनीर/वेज कोरमा/मटर मशरुम, रायता (बूंदी/बथुवा/खीरा/प्याज/टमाटर)/दही वडा, पापड, सलाद, अचार/चटनी, स्वीट डिश/खीर/मिठाई/हलवा।

उपरोक्त के अतिरिक्त बच्चों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संशोधित 2021) उनकी **मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रतिवर्ष प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सामग्री** निम्नवत् होगी:

## बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हें प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सामग्री की सूची

| बिस्तर | | |
|---|---|---|
| क्र0 | वस्तु | प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध करायी जाने वाली मात्रा |
| 1 | गददा | प्रवेश के समय 1 और उसके बाद प्रत्येक 1 वर्ष के बाद 1 |
| 2 | सूती दरी | प्रवेश के समय 2 और उसके बाद हर 2 साल के बाद 2 |
| 3 | सूती चादरें | प्रवेश के समय 2 और उसके बाद हर 6 महीने के बाद 1 |
| 4 | तकिया (सूती भरा हुआ) | प्रवेश के समय 1 और उसके बाद प्रत्येक 1 वर्ष के बाद 1 |
| 5 | तकिया कवर | प्रवेश के समय 1 और उसके बाद प्रत्येक 1 वर्ष के बाद 1 |
| 6 | सूती कम्बल/खेस | प्रवेश के समय 2 और उसके बाद हर 2 साल के बाद 1 |
| 7 | रुई भरी रजाई | प्रवेश के समय 1 और बाद में हर 2 साल के बाद 1 (ठंडे क्षेत्रों में कम्बल के अतिरिक्त) |
| 8 | मच्छरदानी | प्रवेश के समय 1 और उसके बाद हर 6 महीने के बाद 1 |
| 9 | सूती तौलिए | प्रवेश के समय 2 और उसके बाद हर 3 महीने के बाद 1 |
| बालिकाओं हेतु कपड़े | | |
| 1 | स्कर्ट और ब्लाउज या सलवार कमीज या साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट | उम्र और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर लड़कियों के लिए प्रति वर्ष 5 सेट |
| 2 | आयु के अनुरूप अंतर्वस्त्र | हर तिमाही में 3 सेट |
| 3 | आरोग्यकर तौलिया | बड़ी उम्र की लड़कियों के लिए प्रति वर्ष 12 पैक |
| 4 | ऊनी स्वेटर (पूरी आस्तीन) | सालाना 2 स्वेटर |
| 5 | ऊनी स्वेटर (आधी आस्तीन) | सालाना 2 स्वेटर |
| 6 | ऊनी शॉल | 1 प्रति वर्ष |
| 7 | रात के सोने के कपड़े | हर 6 महीने में 2 सेट |
| बालकों हेतु कपड़े | | |
| 1 | शर्ट | प्रवेश के समय 2 व उसके बाद हर 6 महीने के बाद 1 |
| 2 | थनकर | प्रवेश के समय 2 व बाद में छोटे लड़कों के लिए हर 6 महीने में 1 |
| 3 | पैंट | प्रवेश के समय 2 व बाद में बड़े लड़कों के लिए हर 6 महीने में 1 |
| 4 | आयु के अनुरूप अंतर्वस्त्र | हर तिमाही में 3 सेट |
| 5 | ऊनी जर्सी (पूरी आस्तीन) | 2 वार्षिक |
| 6 | ऊनी जर्सी (आधी आस्तीन) | 2 वार्षिक |
| 7 | ऊनी टोपियाँ | वर्ष में 1 |
| 8 | रात में पहनने के लिए कुर्ता पायजामा | हर 6 महीने में 2 सेट |
| विविध सामग्री | | |
| 1 | चप्पले | प्रवेश के समय 1 जोड़ी तत्पश्चात् प्रत्येक छह माह बाद 1 जोड़ी |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | खेल के जूते | प्रवेश के समय 1 जोड़ी तत्पश्चात् प्रत्येक एक वर्ष बाद 1 जोड़ी |
| 3 | स्कूल ड्रैस | स्कूल जाने वाले बच्चों हेतु प्रत्येक छह माह में 2 सेट |
| 4 | स्कूल बैग | स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए प्रति वर्ष 1 |
| 5 | स्कूल के जूते | स्कूल में प्रवेश के समय 1 जोड़ी तत्पश्चात् प्रत्येक छह माह के बाद 1 जोड़ी |
| 6 | रूमाल | प्रवेश के समय 2 तथा तत्पश्चात् प्रत्येक 2 माह के बाद 2 |
| 7 | जुराबे | प्रत्येक छह माह में 3 जोड़ी |
| 8 | लेखन सामग्री | आवश्यकतानुसार |

- उक्त विनिर्दिष्ट कपड़ों के अतिरिक्त, समारोह के अवसरों पर उपयोग करने हेतु प्रत्येक बालक को तीन वर्षों में एक बार, 1 सफेद कमीज, निकर अथवा पैंट 1 जोड़ी, सफेद कैनवास के जूते 1 जोड़ी तथा 1 ब्लेजर उपलब्ध कराया जाएगा।
- बालिकाओं को, 1 सफेद हाफ साड़ी अथवा 1 सलवार कमीज अथवा 1 सफेद स्कर्ट तथा 1 सफेद ब्लाउज, सफेद कैनवास के जूते 1 जोड़ी तथा ब्लेजर उपलब्ध कराया जाएगा।

| टॉयलेट्री | | |
|---|---|---|
| 1 | बालों का तेल | माह में 100 एम0एल0 |
| 2 | प्रसाधन साबुन/हैंडवाश | माह में 100 ग्राम के 2 साबुन |
| 3 | टूथ ब्रश | प्रत्येक 3 माह में 1 |
| 4 | टूथ पेस्ट | माह में 100 ग्राम की (ट्यूब) |
| 5 | कंघा | प्रत्येक 3 माह में 1 |
| 6 | शैम्पू सैशे | माह में 8 (10 मिलीग्राम/प्रति सैशे) |
| 7 | बाल की क्लिप/बैंड | 3 माह में 2 बैंड |
| 8 | मॉश्चराइचर्स अथवा कोल्डक्रीम (सर्दियों में) | माह में 250 मिलीग्राम |

संलग्नक – 4

## राजकीय तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित गृहों का निरीक्षणः

किशोर न्याय अधिनियम – 2015 में दिये गये प्रावधानों के अतिरिक्त जनपद स्तर पर प्रति माह राजकीय तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित समस्त गृहों में जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वंय अथवा जिन जनपदों में संस्थाओं की संख्या 5 से अधिक है, वहॉ उनके प्रतिनिधि के रूप में नामित वरिष्ठ संवेदनशील अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से निरीक्षण किया जायेगा। प्रत्येक माह जिलाधिकारी द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित गृहों में निवासरत् बच्चों की संख्या सत्यापित करके निदेशालय महिला कल्याण को प्रेषित की जायेगी। नामित अधिकारी प्रतिमाह परिवर्तित ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा।

### मासिक निरीक्षण में समीक्षा के बिन्दु

- निरीक्षण की अवधि न्यूनतम 2 घंटे होगी।
- संस्था की स्वीकृत क्षमता के सापेक्ष निवासरत बच्चों की संख्या और संख्या के अनुसार स्थान और संसाधनों की स्थिति।
- संस्थाओं के भवनों की स्थिति और उसमें वेंटीलेशन के प्रबंध।
- भोजन और भोजन तैयार किये जाने की व्यवस्था की गुणवत्ता।
- संस्था कार्मिकों की अनुपस्थिति में बच्चों के साथ व्यक्तिगत व सामूहिक चर्चा।
- संस्था में बीमार बच्चों की चिकित्सा की स्थिति।
- दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति की स्थिति।
- 1 माह से अधिक समय से निवासरत् बच्चों की औपचारिक शिक्षा (बाहरी विद्यालयों में प्रवेश और आवागमन के संसाधन) हेतु किये गये प्रयास।
- 3 माह से अधिक समय से निवासरत् बच्चों की व्यक्तिगत देखरेख योजना की समीक्षा।
- 14 से अधिक आयुवर्ग के बच्चों के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थिति।
- संस्था में बच्चों की शिकायतों के निवारण हेतु प्रबंध।
- 16 से 18 आयुवर्ग के सी0एन0सी0पी0 बच्चों के ऑफ्टरकेयर प्लान की स्थिति।
- संस्थाओं में अप्रिय घटनाओं की रोकथाम हेतु बच्चों को मार्गदर्शन।
- संस्था में निवासरत् बच्चों को परिवार से मिलाने हेतु किये गये प्रयासों की समीक्षा।
- पलायन से रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा।

संलग्नक – 5

## गैर–संस्थागत/वैकल्पिक देखरेख सेवायें:

"मिशन वात्सल्य" के अंर्तगत भारत सरकार द्वारा बच्चों की गैर–संस्थागत/वैकल्पिक देखरेख हेतु चार प्रमुख घटकों को शामिल किया गया है, – प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप), पालक देखभाल (फॉस्टर केयर), पाश्चातवर्ती देखभाल (ऑफ्टरकेयर), दत्तकग्रहण/गोद देना (एडॉप्शन)। इस प्रकार सरकार द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ–साथ उन्हें आर्थिक और सामाजिक संरक्षण के प्रयासों में परिवार और समुदाय आधारित गैर–संस्थागत देखरेख के उपरोक्त विकल्पों को प्राथमिकता दी गई है।

प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप), पालक देखभाल (फॉस्टर केयर), पाश्चातवर्ती देखभाल (ऑफ्टरकेयर), हेतु समस्त बच्चों को राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य के अंर्तगत प्रति माह 4000/– रूपये की धनराशि प्रदान की जायेगी। प्रत्येक जनपद में प्रवर्तकता तथा पालक देखभाल अनुमोदन समिति (स्पॉन्सरशिप एंड फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी – एस0एफ0सी0ए0सी0) होगी, जो मात्र निवारक (प्रीवेन्टिव सेटिंग्स) प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) और पालक देखभाल (फॉस्टर केयर), वित्त (फंड) की समीक्षा और अनुमोदन देगी। पुर्नवास प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) (रीहैब्लीटेटिव सेटिंग्स) के बच्चों को प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) लाभ देने हेतु बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड की अनुसंशा के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा अंतिम अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए और अन्यथा बच्चे की संतोषजनक देखरेख करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। मिशन वात्सल्य योजना के दृष्टिगत प्रदेश में प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप), पालक देखभाल (फॉस्टर केयर), पाश्चातवर्ती देखभाल (ऑफ्टरकेयर) गतिविधियों संबंधित नवीन प्रावधानों को लागू किये जाने हेतु पात्रता, वित्तीय मानक, आवश्यक अभिलेख, आवेदन, स्वीकृति की प्रक्रिया, निगरानी व समीक्षा आदि निम्नवत् होगी:

### प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम):

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(58) के अनुसार, प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) को "परिवारों को बच्चों की चिकित्सा, शैक्षिक और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय या पूरक सहायता के प्रावधान के रूप में परिभाषित किया गया है"। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप), जैविक या विस्तारित परिवारों को बच्चे की पर्याप्त देखभाल हेतु आर्थिक सहयोग देगी। यह एक सशर्त सहायता होगी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि बच्चों को बिना उनके परिवार से विस्थापित किये, समुदाय में अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में रहने और विकसित होने के अवसर मिले।

प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) के अंतर्गत आर्थिक सहायता और चयन की प्रक्रिया के मानदंड दो प्रकार के होंगे:

ए): राजकीय प्रवर्तकता (गवर्नमेन्ट स्पॉन्सरशिप): इस प्रकार की प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) दो श्रेणियों में होगी – निवारक (प्रीवेन्टिव) और पुर्नवास (रीहैब्लीटेटिव)।

क): निवारक प्रवर्तकता (प्रीवेन्टिव स्पॉन्सरशिप): एक जोखिमपूर्ण परिवार को उसके बच्चे को जैविक परिवार (विस्तारित परिवार और रक्त संबंधियों सहित) में बने रहने और उसकी शिक्षा को जारी रखने में सहायता हेतु प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) सहायता प्रदान की जाएगी। यह बच्चों को निराश्रित होने, जोखिपूर्ण स्थितियों में आने, गंभीर रोगों से लड़ने, घर छोड़ भाग जाने, बाल विवाह या बाल श्रम आदि के लिए मजबूर होने से रोकने की दिशा में एक प्रयास है।

- निवारक प्रवर्तकता (प्रीवेन्टिव स्पॉन्सरशिप) हेतु बच्चों व परिवारों की पहचानः
  - जिला बाल संरक्षण ईकाईयॉं, अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं, आउटरीच कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों के साथ–साथ शहरी वार्ड समिति/ग्राम स्तरीय समिति/पंचायत के माध्यम से प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) सहायता हेतु जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में शामिल परिवारों या बच्चों की पहचान करेंगी।
  - बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, कोई स्वंयसेवी संस्था, कोई संस्थान, विद्यालय, अध्यापक, पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन या कोई अन्य विभाग, ग्राम, ब्लॉक, वार्ड तथा जिले स्तर पर गठित बाल कल्याण तथा संरक्षण समितियों तथा कोई भी व्यक्ति विशेष यदि ऐसे किसी परिवार या बच्चे के संपर्क में आता है जिसे निवारक प्रवर्तकता (प्रीवेन्टिव स्पॉन्सरशिप) का लाभ दिया जाना चाहिये, तो वह जिला बाल संरक्षण ईकाई से संपर्क/को संदर्भित कर सकता है।

- निवारक प्रवर्तकता (प्रीवेन्टिव स्पॉन्सरशिप) हेतु आर्थिक मानदंडः
  प्रीवेन्टिव स्पॉन्सरशिप हेतु "सांकेतिक मापदंडों" के आधार पर अत्याधिक अभाव की स्थिति वाले बच्चों का चयन किया जाएगा, जैसे –
  - आवासीय परिवेश,
  - सामाजिक अभाव और व्यवसाय,
  - परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम रू0. 72,000/– एवं अन्य क्षेत्रों में अधिकतम रू0. 96,000/– होनी चाहिये।

ख): पुर्नवास प्रवर्तकता (रीहैब्लीटेटिव स्पॉन्सरशिप): संस्थाओं में रह रहे बच्चों को प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) का लाभ देकर परिवारों में पुनः स्थापित किया जायेगा।

- पुर्नवास प्रवर्तकता (रीहैब्लीटेटिव स्पॉन्सरशिप) हेतु बच्चों व परिवारों की पहचानः
  - गृहों के अधीक्षक, केस वर्कर, बाल कल्याण अधिकारी या परामर्शदाता सहित जिला बाल संरक्षण ईकाई के कार्मिकों द्वारा ऐसे बच्चों की पहचान की जायेगी।
  - संबंधित गृह द्वारा ऐसे बच्चों को प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) का लाभ दिलाने हेतु बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड से संपर्क करना होगा, समिति/बोर्ड

उचित प्रतीत होने पर बच्चों को प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) का लाभ देने हेतु जिला बाल संरक्षण ईकाई से अनुसंशा करेंगें।

- अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बच्चे यदि छह माह में गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त नहीं किये जाते हैं/गोद नहीं लिए गए हैं तो उन्हें वरीयता दी जाएगी।
- इस प्रकार के पुनर्वास हेतु, बच्चों के परिवारों, विस्तारित परिवार, बच्चे को ज्ञात परिवार, पड़ोस/समुदाय, और फिर असंबंधित और अज्ञात पालक परिवारों, उपयुक्त व्यक्ति/उपयुक्त सुविधा को प्राथमिकता दी जा सकती है, अतः बच्चों को उनके साथ परिवार में स्थापित करते हुये उन्हें प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) का लाभ दिया जायेगा।

**बी): निजी प्रवर्तकता (प्राइवेट स्पॉन्सरशिप):**

निजी प्रायोजन धनराशि सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड रू0. 4,000/– से कम नहीं होगी तथा प्रायोजन अवधि न्यूनतम एक वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की अवधि तक होगी। निजी प्रवर्तकता (प्राइवेट स्पॉन्सरशिप) के अंतर्गत, इच्छुक प्रायोजक (स्पॉन्सर) – व्यक्ति, संस्थान, कंपनी, बैंक, औद्योगिक ईकाइयां, ट्रस्ट, सी0एस0आर0 आदि, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) दे सकते हैं:

**क): व्यक्तिगत प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप):** किसी संस्था या परिवार के एक या दो बच्चों को वस्तु और वित्तीय सहायता के रूप में प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप)।

**ख): समूह प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप):** संस्था में रहने वाले एक या एक से अधिक परिवारों के अधिकतम आठ बच्चों को वस्तु और वित्तीय सहायता के रूप में प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप)।

**ग): सामुदाय में प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप):** समुदाय के एक या एक से अधिक परिवारों के आठ से अधिक बच्चों को वस्तु और वित्तीय सहायता के रूप में प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप)।

**घ): बाल देखरेख संस्था को प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप):** बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने, सेवा की गुणवत्ता में सुधार, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों का विस्तार करने, खेल सुविधाओं और प्रशिक्षण का विस्तार करने, कोचिंग कक्षाएं, चिकित्सा सहायता और सुविधाएं, पुस्तकालय और कंप्यूटर लैब आदि प्रयोजनों हेतु बाल देखरेख संस्थाओं को वस्तु और वित्तीय सहायता के रूप में प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) प्रदान की जा सकती है।

- **निजी प्रवर्तकता (प्राइवेट स्पॉन्सरशिप) संबंधी अन्य दिशा निर्देशः:**
  - जिलाधिकारी किसी बच्चे या बच्चों के समूह या संस्था को प्रायोजित करने हेतु व्यक्तियों या सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के संगठनों को प्रोत्साहित करने के उपाय कर सकते है। इस तरह की व्यवस्था किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और नियमों के अनुसार शर्तों के अधीन होगी।

- निजी प्रवर्तकता (प्राइवेट स्पॉन्सरशिप) से प्राप्त निधियों का लेखा–जोखा बाल देखरेख संस्थाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा के अंतर्गत पृथक रूप से शामिल किया जायेगा, और मिशन वात्सल्य पोर्टल (केन्द्र द्वारा विकसित) तथा उ0प्र0 बाल संरक्षण एम0आई0एस0 पोर्टल (राज्य सरकार द्वारा विकसित) पर प्रकाशित किया जायेगा।
- निजी प्रवर्तकता (प्राइवेट स्पॉन्सरशिप) प्राप्त करने हेतु प्रत्येक जनपद में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में "चिल्ड्रेन फण्ड" नाम से खाते खोले जायेंगें। जिनमें प्राप्त धनराशि किशोर न्याय (बालको की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 105 के अंतर्गत प्राविधानित किशोर न्याय निधि का हिस्सा होंगी।
- राज्य स्तर पर भी प्रायोजक किशोर न्याय निधि में योगदान करने हेतु उ0प्र0 बाल संरक्षण एम0आई0एस0 पोर्टल (राज्य सरकार द्वारा विकसित) के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। जिसका ब्यौरा भी मिशन वात्सल्य पोर्टल (केन्द्र द्वारा विकसित) तथा उ0प्र0 बाल संरक्षण एम0आई0एस0 पोर्टल (राज्य सरकार द्वारा विकसित) पर प्रकाशित किया जायेगा।
- जनपद स्तर पर खातों का संचालन जिलाधिकारी तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
- प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) हेतु किसी भी प्रकार का नकद लेन–देन वर्जित होगा, यद्यपि यदि कोई वस्तु (काइन्ड) के रूप कुछ स्पॉन्सर करना चाहता है तो प्राप्त किया जा सकता है जिसका पूरा ब्योरा संबंधित रजिस्टर बनाकर उसमें अंकित किया जायेगा।
- प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) हेतु चेक या ऑनलाइन ट्रॉन्सेक्शन के माध्यम से संबंधित खाते में सहयोग दिया जा सकता है।

- सभी प्रकार की प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) हेतु पात्रताः
  - यदि मां विधवा या तलाकशुदा है या परिवार द्वारा परित्यक्त है;
  - यदि बच्चे अनाथ हैं और विस्तारित परिवार के साथ रह रहे हैं;
  - यदि माता–पिता या उनमें से कोई एक असाध्य/गंभीर/जानलेवा रोग से ग्रसित/संक्रमित हैं;
  - यदि माता–पिता आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ या अक्षम है;
  - किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे जो बेघर, किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार, बाल विवाह, कानून से संर्घषरत्, बाल–तस्करी, एच0आई0वी0/एड्स प्रभावित, दिव्यांग, लापता या घर से भागे हुए, बाल वैश्यावृति, बाल–श्रम बाल भिक्षुक या सड़क पर जीवनयापन करने वाले, प्रताड़ित या उत्पीड़ित या शोषित किये गये एवं जिनके माता–पिता या उनमें से कोई एक जेल में हैं, उनको सहायता और पुनर्वास की आवश्यकता है।

- पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी बच्चे।
- निवारक प्रवर्तकता (प्रीवेन्टिव स्पॉसरशिप) के ऐसे बच्चे जिनके माता–पिता दोनों अथवा वैध संरक्षक की मृत्यु हो गई हो के प्रकरणों में "परिवार की अधिकतम आय सीमा" का नियम लागू नहीं होगा वरन् उपरोक्त बच्चों को विधिक रूप से गोद लिये जाने के पश्चात वैध अभिभावक के जीवित होने पर आय सीमा का नियम लागू होगा।
- निवारक प्रवर्तकता (प्रीवेन्टिव स्पॉसरशिप) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की स्पॉसरशिप में भी "परिवार की अधिकतम आय सीमा" का नियम लागू नहीं होगा।
- 18 वर्ष की आयु पूर्ण किये जाने पर स्पॉसरशिप के लाभार्थियों को उच्च शिक्षा में सहयोग किये जाने हेतु उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) में शामिल किया जा सकेगा।

- **सभी प्रकार की प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) की अवधिः**
  - प्रवर्तकता (स्पॉसरशिप) प्रदान किये जाने की अवधि न्यूनतम एक वर्ष होगी तथा किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, या बाल न्यायालय द्वारा लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर स्पॉन्सरशिप की अवधि को 18 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकेगा।
  - प्रवर्तकता (स्पॉसरशिप) सहायता की अवधि, **प्रवर्तकता तथा पालक देखभाल अनुमोदन समिति (स्पॉन्सरशिप एंड फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी) एस0एफ0सी0ए0सी0 – समिति का विस्तृत विवरण आगे उल्लेखित है)** द्वारा मामले के आधार पर तय की जाएगी। वर्तमान में इसे वर्ष 2025–26 तक बढ़ाया जा सकता है।

- **आवेदन की प्रक्रियाः**
  - गैर संस्थागत श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले सभी बच्चे स्वयं, उनके माता या पिता अथवा संरक्षक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन आफॅलाइन या ऑनलाइन–उ0प्र0 बाल संरक्षण एम0आई0एस0 पोर्टल, के माध्यम से कर सकेंगे।
  - संस्थागत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बच्चों की व्यक्तिगत देखरेख योजना के आधार पर, एक बाल देखरेख संस्था (राजकीय/स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित व किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत), में आवासित बच्चे को प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) का लाभ प्रदान किये जाने हेतु बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड के माध्यम से जिला बाल संरक्षण ईकाई को अनुसंशा की जायेगी।
  - संस्थागत बच्चों के संबंध में प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) फंड की मंजूरी हेतु जिला बाल संरक्षण ईकाई को अनुसंशा करने से पूर्व बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी।

- निर्धारित प्रारूप पर भरे, स्वप्रमाणित व समस्त संलग्नकों के साथ प्राप्त आवेदन ही मान्य होंगे।

- आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख :–
  - आय प्रमाण–पत्र (जहाँ लागू हो)।
  - माता–पिता या माता या पिता या अभिभावक (मृत्यु के संदर्भ में) जैसी भी स्थिति हो, के सुसंगत अभिलेख।
  - शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र (0 से 05 वर्ष के बच्चों हेतु लागू नहीं। बच्चों को शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कारणों से स्पॉन्सर किये जाने की स्थिति में भी लागू नहीं)।
  - बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड का आदेश, जिसके द्वारा बच्चे को संस्थागत देख–रेख में आश्रय दिया गया है, प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) हेतु अनुसंशा की गयी हो (जहाँ लागू हो)।
  - बच्चे/किशोर का आयु प्रमाण–पत्र किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा–94 में उल्लिखित प्रमाण पत्रों तथा उनके अभाव में परिवार रजिस्टर की नकल अथवा किसी सरकारी दस्तावेज की प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो।)

- प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदन के सत्यापन, स्वीकृति और धनराशि अंतरण की प्रक्रिया:
  - संस्थागत देखरेख में रह रहे किसी बच्चे के लिए प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) सहायता का अनुरोध, बच्चे के परिवार द्वारा जिला बाल संरक्षण ईकाई को आवेदन के माध्यम से लिखित रूप में किया जायेगा या बच्चे के परिवार अथवा जिला बाल संरक्षण ईकाई द्वारा मिशन वात्सल्य पोर्टल/उ0प्र0 बाल संरक्षण एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है।
  - प्रवर्तकता हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संरक्षण अधिकारी (संस्थागत/गैर संस्थागत) द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से प्राप्त आवेदनों एवं संलग्न अभिलेखों का परीक्षण कराया जायेगा।
  - पात्र आवेदनों की सूची तैयार कर किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति की अनुसंशा प्राप्त करते हुये प्रत्येक माह प्रवर्तकता और पालक देखभाल अनुमोदन समिति (स्पॉन्सरशिप एंड फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी–एस0एफ0सी0ए0सी0) की होने वाली बैठक में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
  - प्रवर्तकता और पालक देखभाल अनुमोदन समिति (स्पॉन्सरशिप एंड फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी–एस0एफ0सी0ए0सी0), द्वारा पात्र बच्चों की अनुसंशा जिलाधिकारी की जायेगी।

- जिलाधिकारी किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति की अनुसंशा के आधार पर अनुमोदन देंगे या मामलों को समीक्षा के लिए पुनः बोर्ड/समिति को संदर्भित करेंगे।
- प्रवर्तकता और पालक देखभाल अनुमोदन समिति (स्पॉन्सरशिप एंड फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी–एस0एफ0सी0ए0सी0), जिलाधिकारी द्वारा की गई टिप्पणियों की समीक्षा एवं उन पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकती है।
- जिलाधिकारी अनुसंशा को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।
- जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डी0सी0पी0ओ0), बच्चे के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में एक खाता खोलेंगें, जिसका संचालन बच्चे के अभिभावक, प्राथमिक रूप से मॉ द्वारा किया जाएगा।
- जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डी0सी0पी0ओ0), उचित औचित्य के साथ गैर संस्थागत देखरेख मद में बजटीय आवंटन के लिए राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी (एस0सी0पी0एस0) से अनुरोध करेंगे।
- आवंटन जिला स्तर पर मिशन वात्सल्य के लिए खोले गए इम्पलीमेन्टिंग एजेन्सी के सिंगल नोडल अकाउंट (एस0एन0ए0) में जमा किया जाएगा।
- "मिशन वात्सल्य" और "वाइल्ड फण्ड" खाते से बच्चों के खाते में धनराशि जारी करने की स्वीकृति के लिए जिलाधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे।
- एक बार स्वीकृत होने के बाद, धनराशि बच्चे के खाते में मासिक जमा की जाएगी।

- **निगरानी तथा अनुश्रवण:**
  - जिला बाल संरक्षण ईकाई, जिले के सरकारी अस्पताल/जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन के माध्यम से बच्चों को स्वास्थ्य की वार्षिक जांच की सुविधा प्रदान करना सुनिश्चित करेंगें। स्वास्थ्य जॉच की रिपोर्ट के साथ–साथ सामाजिक कार्यकर्ता या आउटरीच कार्यकर्ता द्वारा की गई गृह और विधालय जांच की रिपोर्ट प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) सहायता की समीक्षा और विस्तार हेतु प्रवर्तकता और पालक देखभाल अनुमोदन समिति (स्पॉन्सरशिप एंड फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी–एस0एफ0सी0ए0सी0) के समक्ष प्रस्तुत करेंगें।
  - बच्चों और परिवारों का पर्यवेक्षण जिला बाल संरक्षण ईकाई द्वारा किया जाएगा जिसमें घर और विधालय के छमाही दौरे शामिल होंगे।
  - प्रवर्तकता और पालक देखभाल अनुमोदन समिति (स्पॉन्सरशिप एंड फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी–एस0एफ0सी0ए0सी0) समय–समय पर सभी स्पॉन्सरशिप मामलों की समीक्षा करेगी।
  - जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक में जिलाधिकारी स्पॉन्सरशिप योजना की समीक्षा करेंगें।

- **प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) की समीक्षा तथा निरस्तीकरण :**
  समिति समीक्षा कर निम्नलिखित परिस्थितियों में परिवार आधारित प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) के निरस्तीकरण की अनुसंशा कर सकती है:
  - बच्चे की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गयी हो।
  - योजना का लाभ पा रहे परिवार की वार्षिक आय, निर्धारित आय सीमा निर्धारित आय सीमा से अधिक हो गयी हो (जहाँ लागू हो)।
  - परिवार स्वेच्छा से प्रायोजन सहायता छोड़ दे।
  - यदि स्कूल जाने वाला बच्चा लगातार 30 दिनों से अधिक समय तक स्कूल की उपस्थिति में अनियमित पाया जाता है (केवल उन विशेष परिस्थितियों में जहाँ बच्चा बीमार हो या परिवार किसी आकस्मिक आपदा का शिकार हुआ हो, निरस्तीकरण नहीं किया जाएगा, जिसका सत्यापन जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किया जायेगा)।
  - विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड)/शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कारणों से प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) का लाभ लेने वाले बच्चों का स्कूल में अनुपस्थिति के कारण निरस्तीकरण नहीं होगा।
  - बच्चे को संस्थागत देखरेख में भेज दिया गया हो।
  - बच्चा घर से पलायित कर गया हो और पुनः प्राप्त न हुआ हो।
  - बच्चे से आयपरक श्रम लिया जा रहा हो।
  - यदि माता–पिता दोनों बच्चे की देखभाल करने में अक्षम या अनुपयुक्त समझे गए हों, ऐसे मामलों में प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) किसी रिश्तेदार या अन्य परिवार–आधारित देखभाल व्यवस्था को हस्तांतरित की जा सकती है।
  - यदि बच्चा और परिवार कम से कम तीन महीने तक एक–दूसरे के साथ रहने के बाद भी आपसी सामन्जस्य बैठाने में असमर्थ हैं (जहाँ बच्चे को संस्था से परिवार में पुनः स्थापित किया गया हो)।
  - योजना में चयन के उपरान्त विधि का उल्लंघन करने में दोषसिद्ध पाया गया हो।
  - विधि का उल्लंघन करने वाले जिन बच्चों का परिवारों में समायोजन किया गया है, यदि उन्हें पुनः विधि का उल्लंघन करने में दोषसिद्ध पाया गया हो।
  - लाभार्थी द्वारा कानूनी रूप से निर्धारित विवाह की आयु से पूर्व विवाह किया गया हो।
  - संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थागत देखभाल) को बच्चे व परिवार की वर्तमान स्थिति और प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) सेवा की संभावित समाप्ति के कारणों को समिति के सामने रखना होगा और बच्चे की के संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए उनकी सलाह लेनी चाहिए।
  - यदि समिति, प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) को समाप्त करने का निर्णय लेती है, तो आवश्यक होने पर बच्चे के लिए वैकल्पिक देखभाल और पुनर्वास उपायों की

अनुसंशा कर सकती है। इसमें एक वैकल्पिक प्लेसमेंट शामिल हो सकता है जो भी बच्चे के सर्वोत्तम हित में हो।

- समिति, उक्त अनुसंशा बाल कल्याण समिति के समक्ष करेगी। बाल कल्याण समिति तब प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) को रद्द या बंद कर देगी और बच्चे की केस फाइल को भी बंद कर देगी। ऐसे मामले में संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखभाल) बच्चे के उपयुक्त स्थानन् हेतु बाल कल्याण समिति से संपर्क करेगा।

पालक देखभाल (फॉस्टर केयर कार्यक्रम)

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 (संशोधित 2021) की धारा 44 और उसके नियमों में उल्लिखित पालक देखभाल (फॉस्टर केयर), ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक बच्चे को असंबंधित परिवार के सदस्य के साथ देखरेख और संरक्षण के उद्देश्य से परिवार के समान घरेलू वातावरण में वैकल्पिक देखभाल में रखा जाता है। पालक देखभाल (फॉस्टर केयर), अल्पावधि हो या विस्तारित अवधि के लिये बच्चे के सर्वोत्तम हित को देखते हुये ऐसा निर्णय लिया जा सकता है।

- किसी बच्चे को पालक देखभाल (फॉस्टर केयर) में रखते समय, उन परिवारों को वरीयता दी जाएगी जो समान सांस्कृतिक, आदिवासी और/या सामुदायिक संबंध साझा करते हैं।
- पालक देखभाल (फॉस्टर केयर) में समूह पालक देखभाल (ग्रुप फॉस्टर केयर) शामिल होगें, जिससे असंबधित बच्चों के एक समूह को, पालक परिवार के साथ रखा जायेगा या एक परिवार जैसी स्थिति में पालक देखभाल (फॉस्टर केयर) करने वालों की देखरेख में रखा जायेगा जिनके अपने जैविक बच्चे हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
- समूह पालक देखभाल (ग्रुप फॉस्टर केयर) को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु एक उपयुक्त सुविधा में परिवार जैसी देखभाल के रूप में परिभाषित किया गया है।
- समूह पालक देखभाल (ग्रुप फॉस्टर केयर) में रखे गये बच्चों की संख्या पालक माता–पिता की जैविक संतानों को मिलाकर 8 से अधिक नहीं होगी।

पालक देखभाल (फॉस्टर केयर) की अवधि:

- **अल्पावधि अवधि** के लिए पालक देखभाल (फॉस्टर केयर) का अर्थ अधिक से अधिक एक वर्ष से है।
- **विस्तारित अवधि** के लिए पालक देखभाल (फॉस्टर केयर) का तात्पर्य एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एक बच्चे को पालक देखभाल (फॉस्टर केयर) में देने से है।
- अल्पावधि हो या विस्तारित, यह पालक माता–पिता के साथ बच्चे की सामन्जस्य के आंकलन पर आधारित होगा।

- समिति द्वारा पालक देखभाल (फॉस्टर केयर) की अवधि को तब तक बढ़ाया जा सकता है जब तक कि बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, वर्तमान में इसे भारत सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के अतर्गत प्रदत्त दिशा–निर्देशों के क्रम में वर्ष 2025–26 तक बढ़ाया जा सकता है।

पालक देखभाल (फॉस्टर केयर) हेतु पात्र बच्चे:

- मिशन वात्सल्य के अंतर्गत उल्लिखित है कि "ऐसे बच्चे जो 0–6 वर्ष आयु श्रेणी में हैं एवं जिन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु मुक्त किये जाने के लिये चिन्हित किया गया है तथा इसके साथ ही साथ वे बच्चे जिन्हें समिति द्वारा विधिक रूप से दत्तक गृह हेतु मुक्त कर दिया गये है को, जहाँ तक संभव हो फोस्टर केयर हेतु संदर्भित नहीं किया जाना चाहिये"। ऐसे बच्चों को दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार दत्तक ग्रहण के माध्यम से एक स्थायी परिवार प्रदान किया जाएगा।
- पालक देखभाल में किसी बच्चे को दिये जाने का निर्णय बाल कल्याण समिति द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत व्यक्तिगत प्रकरणों और उनकी परिस्थितियों के आंकलन के आधार पर लिया जायेगा।
- 6–18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे जो दो साल से अधिक समय से बाल देखरेख संस्थानों में रह रहे हैं, और उन्हें गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित नहीं किया गया है, उन्हें उनकी व्यक्तिगत देखरेख योजना के आधार पर पालक देखभाल (फॉस्टर केयर) में रखा जा सकेगा।
- ऐसे बच्चे जिनके माता–पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और जिन्होंने अपने बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ होने के कारण अपने बच्चे की देखभाल के लिए समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई को अनुरोध प्रस्तुत किया है; ऐसे बच्चों को अधिमानतः पालक देखभाल (फॉस्टर केयर) में रखा जायेगा।
- किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 (संशोधित 2021), के अनुसार देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, बेघर, किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार, बाल विवाह के शिकार, तस्करी का शिकार बच्चे, एच0आई0वी0/एड्स प्रभावित बच्चे, दिव्यांग बच्चे, लापता या घर से भागे हुए बच्चे, बाल वैश्यावृति, बाल भिक्षुक या सड़क पर रहने वाले, प्रताड़ित या उत्पीड़ित या शोषित किये गये बच्चे, जिनके माता–पिता जेल में हैं, जिन्हें सहायता और पुनर्वास की आवश्यकता है तथा बाल देखरेख संस्थाओं में आवासित हैं या परिवार द्वारा बाल कल्याण समिति के सम्मुख अभ्यर्पित कर दिये गये हों को पालक देखभाल में दिया जा सकेगा।
- जो बच्चे दत्तकग्रहण या जैविक विस्तारित परिवारों के साथ पुनर्वास करने में असमर्थ हैं, उन्हें पालक देखभाल के लिए विचार किया जायेगा।

पालक परिवार के चयन के लिए मानदंड:

किशोर न्याय नियमावली, 2022 के नियम 23 के अनुसार,

- पालक माता–पिता भारतीय नागरिक होने चाहिये।

- पालक माता–पिता उस बच्चे का पालन–पोषण करने के इच्छुक होने चाहिये।
- पालक माता–पिता की आयु 35 वर्ष से अधिक हानी चाहिये और उनका शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिये।
- पालक माता–पिता की आमदनी इतनी होनी चाहिये कि वे बच्चे की जरूरतों को पूरा कर सकें।
- पालक परिवार के परिसरों में रह रहे उस परिवार के सभी सदस्यों की चिकित्सीय जांच रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिये जिनमें एच0आई0वी0, टी0बी0 और हैपेटाइटिस बी0 इत्यादि शामिल हों और वे इन सब से रोगमुक्त हों।
- पालक परिवार के पास पर्याप्त स्थान और आधारभूत सुविधायें होनी चाहियें।

पालक देखभाल (फॉस्टर केयर) में जिला बाल संरक्षण ईकाई के दायित्वः

- जिला बाल संरक्षण इकाई (डी0सी0पी0यू0) उन परिवारों की पहचान करेगी जो बच्चे की प्राथमिकता के साथ बच्चों को पालक देखभाल (फॉस्टर केयर) में लेने के इच्छुक हैं। इस प्रयोजन के लिए, जिला बाल संरक्षण इकाई समय–समय पर स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देगी जिसमें पारिवारिक पालन–पोषण के लिए आवेदन मांगे जाएंगे।
- जिला बाल संरक्षण इकाई मानदंडों के आधार पर आवेदकों को शॉर्टलिस्ट करेगी और पालक देखभाल (फॉस्टर केयर) परिवारों के साथ साक्षात्कार आयोजित करेगी जो भावी पालक परिवार के मूल्यांकन में मदद करेगी।
- जिला बाल संरक्षण इकाई प्रत्येक पालक परिवार द्वारा प्रदान किए गए 2 संदर्भों का समुदाय से सत्यापन करेगी।
- जिला बाल संरक्षण इकाई, भावी पालक परिवार का आंकलन करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे बच्चे की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं और बच्चे के लिए पालक देखभाल फण्ड पर ही निर्भर नहीं हैं, उनकी आर्थिक स्थिति की पूर्ण जांच करेगी।
- यदि मूल्यांकन में यह निकल कर आता है कि अन्य सभी मानदंडों को पूरा किया जा रहा है और केवल वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, तो बच्चे की देखभाल हेतु अन्य विकल्पों की अनुपस्थिति में, बाल कल्याण समिति के अंतिम आदेशों के बाद जनपद में गठित प्रवर्तकता और पालक देखभाल अनुमोदन समिति (स्पॉन्सरशिप एंड फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी) को मामले की अनुसंशा की जाएगी। विशेष रूप से उच्च अध्ययन के मामलों में, यदि आवश्यकता हो तो वित्तीय सहायता बाद में भी प्रदान की जा सकती है।
- जिला बाल संरक्षण इकाई संभावित पालक परिवारों का एक रोस्टर/पैनल तैयार करेगी, जिसमें प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाने वाली पालक देखभाल (फॉस्टर केयर) का विवरण शामिल होगा, और इसे बाल कल्याण समिति को बच्चों को पालक देखभाल (फॉस्टर केयर) में रखने के लिए अग्रेषित किया जाएगा।
- जिला बाल संरक्षण इकाई बच्चे को पालक देखभाल (फॉस्टर केयर) में रखने हेतु तैयार करेगी। साथ ही इकाई पालक माता–पिता और पालक बच्चे के मिलान की

प्रक्रिया शुरू कर उसकी आख्या तैयार करेगी। इन आख्याओं को मिलान प्रक्रिया के दौरान इकाई द्वारा समानांतर रूप से भरा जाना है और बाल कल्याण समिति को यह आख्या लिखित प्रावरण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

**प्रवर्तकता और पालक देखभाल अनुमोदन समिति (स्पॉन्सरशिप एंड फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी):**

प्रत्येक जनपद में प्रवर्तकता और पालक देखभाल अनुमोदन समिति (स्पॉन्सरशिप एंड फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी) होगी, जो मात्र निवारक (प्रीवेन्टिव सेटिंग्स) प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) और पालक देखभाल (फॉस्टर केयर), वित्त की समीक्षा और संस्तुति देगी। पालक देखभाल अनुमोदन समिति (स्पॉन्सरशिप एंड फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी) की संरचना निम्न होगी:

| क्र0सं0 | सदस्यों का पदनाम | समिति में पदभार |
|---|---|---|
| 1 | जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2 | अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति | सदस्य |
| 3 | विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी (एस0ए0ए0) के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 4 | बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत एक स्वैच्छिक संगठन का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5 | जिला बाल संरक्षण अधिकारी | सदस्य सचिव |
| 6 | संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थागत देखभाल/ संस्थागत देखभाल) | सदस्य |

उपरोक्त समिति प्रत्येक मामले की समीक्षा करेगी और योग्य पाए जाने वाले सभी मामलों में प्रवर्तकता/पालक देखभाल (स्पॉन्सरशिप/फॉस्टर केयर) का अनुमोदन करेगी। अनुमोदनोनरांत पात्र मामलों को प्रवर्तकता/पालक देखभाल (स्पॉन्सरशिप/फॉस्टर केयर), जैसा भी मामला हो, के लिए अंतिम आदेश हेतु बाल कल्याण समिति को अग्रसारित करेगी।

**संस्थाओं में निवासरत् बच्चों को पुर्नवास प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप)**

ऐसे बच्चों को प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) का लाभ देने हेतु उनकी व्यक्तिगत देखरेख योजना के आधार पर, बाल देखरेख संस्था जिला बाल संरक्षण ईकाई के माध्यम बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड से संपर्क करेगी। इस तरह के पुनर्वास में तत्काल परिवार, विस्तारित परिवार, बच्चे के परिचित परिवार, पड़ोस/समुदाय और फिर क्रमशः असंबद्ध और अज्ञात पालक परिवारों को प्राथमिकता दी जा सकेगी। बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड मामलों की समीक्षा कर अपनी संस्तुति जिला बाल संरक्षण ईकाई के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रेषित करेगी। जिलाधिकारी द्वारा अंतिम अनुमोदनोपरांत ऐसे बच्चों को प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) का लाभ दिया जा सकेगा।

**प्रवर्तकता एवं पालक देखभाल अनुमोदन समिति (स्पॉन्सरशिप एंड फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी) की भूमिका और दायित्वः**

- समिति प्रत्येक अनुसंशा की समीक्षा करेगी और योग्य पाए जाने वाले सभी प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) और पालक देखभाल (फॉस्टर केयर) सहायता के मामलों का अनुमोदन करेगी। अनुमोदनोनरांत पात्र मामलों को प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) और पालक देखभाल (फॉस्टर केयर), जैसा भी मामला हो, के लिए अंतिम आदेश निर्गत करने हेतु बाल कल्याण समिति को अग्रसारित किया जायेगा।
- समिति प्रत्येक माह बैठक करेगी और समयबद्ध तरीके से कार्य करेगी। समिति को प्राप्त किसी भी अनुरोध पर निर्णय आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर लिया जाएगा।
- समिति द्वारा प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) और पालक देखभाल (फॉस्टर केयर) के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे की वार्षिक समीक्षा की जाएगी जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है और उसे अच्छी तरह से समायोजित किया गया है। इस समीक्षा के आधार पर सहायता धनराशि के विस्तार की स्वीकृति दी जाएगी।
- समिति, समीक्षा करेगी कि क्या जिला बाल संरक्षण ईकाई ने अन्य विभागों के साथ अभिसरण कर परिवार को सशक्त करने/सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त प्रयास किए हैं।
- समिति, समीक्षा कर आवश्यक्तानुसार, परिवार आधारित स्पॉन्सरशिप/फॉस्टर केयर सेवा को समाप्त करने की सिफारिश करेगी।

**पालक देखभाल (फॉस्टर केयर) के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति और फण्ड जारी करने की प्रक्रिया:**

- बच्चे को पालने के इच्छुक जोड़े/परिवार निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में जिला बाल संरक्षण इकाई/उ0प्र0 बाल संरक्षण एम0आई0एस0 पोर्टल पर ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन करेंगें।
- जिला बाल संरक्षण इकाई सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से गृह अध्ययन रिपोर्ट और पुलिस के माध्यम से पृष्ठभूमि सत्यापन करवयेगी। जिसके अंतर्गत परिवार की आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखा जायेगा।
- बच्चों को पालने के लिए उपयुक्त परिवारों के रूप में स्वीकार किए जाने से पहले, परिवारों को एक बच्चे को पालने की जिम्मेदारियों की व्याख्या करने और उनकी मानसिक तैयारी के बारे में मूल्यांकन करने के लिए परामर्श दिया जा सकता है।
- पालक परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम होने की स्थिति में वे पालक देखभाल फण्ड से प्रतिमाह 4000 रू0 सहायता प्राप्त करने हेतु अनुमन्य होंगें। यदि भारत सरकार यह आय सीमा परिवर्तित करती है तो परिवर्तित आय सीमा मान्य होगी।
- यदि वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है, तो प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) सहायता प्रदान करने के समान प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

- जिला बाल संरक्षण अधिकारी बच्चे और भावी फोस्टर माता–पिता के बीच परिचयात्मक बैठक आयोजित करेंगे। यह व्यवस्था तभी सक्रिय की जायेगी जब बच्चा पालक माता–पिता/परिवार के साथ रहने के लिए तैयार हो।
- पालक देखभाल (फॉस्टर केयर) व्यवस्था को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

पालक देखभाल (फॉस्टर केयर) अनुश्रवण तथा समीक्षा:

- जिला बाल संरक्षण ईकाई, जिले के सरकारी अस्पताल/जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन के माध्यम से बच्चों को स्वास्थ्य की वार्षिक जांच की सुविधा प्रदान करना सुनिशिचित करेंगें और स्वास्थ्य जॉच की आख्या के साथ–साथ सामाजिक कार्यकर्ता या आउटरीच कार्यकर्ता द्वारा की गई घर और स्कूल जांच की रिपोर्ट स्पॉन्सरशिप सहायता की समीक्षा और विस्तार हेतु प्रवर्तकता और पालक देखभाल अनुमोदन समिति (स्पॉन्सरशिप एंड फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी) के समक्ष प्रस्तुत करेंगें।
- बच्चों और परिवारों का पर्यवेक्षण जिला बाल संरक्षण ईकाई द्वारा किया जाएगा जिसमें घर और विधालय के त्रैमासिक दौरे शामिल होंगे।
- जब तक कि बच्चे को कोई दिव्यांगता या बीमारी ना हो, विधालय जाने की उम्र के सभी पालक बच्चे नियमित रूप से औपचारिक स्कूली शिक्षा में शामिल होंगे, इसे जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- बच्चे की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने/बच्चे को संस्थागत देखरेख में स्थानानतरित करने पर/बच्चे के पालक परिवार से पलायित होने पर/बच्चे से आयपरक श्रम लिये जाने पर/बच्चे को चिकित्सीय समस्या होने पर माता–पिता द्वारा आवश्यक देखभाल प्रदान नहीं किये जाने पर/फोस्टर माता–पिता दोनों के बच्चे की देखभाल करने में अक्षम/अनुपयुक्त पाये जाने पर पालक देखभाल (फॉस्टर केयर) सहायता धनराशि समाप्त कर दी जायेगी।
- यदि विधालय जाने वाला बच्चा 30 दिनों से अधिक समय तक स्कूल की उपस्थिति में अनियमित पाया जाता है (केवल उन विशेष परिस्थितियों में जहॉ बच्चा बीमार हो या परिवार किसी आकस्मिक आपदा का शिकार हुआ हो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड) का निरस्तीकरण नहीं किया जाएगा), जिसका सत्यापन जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किया जायेगा।
- जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक में जिलाधिकारी पालक देखभाल (फॉस्टर केयर) कार्यक्रम की की समीक्षा करेंगें।

पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम (ऑफ्टरकेयर):

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 (संशोधित 2021), धारा 2(5), धारा 46 और नियमावली के नियम 25 के प्रावधान संस्थागत देखभाल में रहने वाले बच्चों को पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) की सुविधा प्रदान करते है, उक्त धारायें

व नियम यह अनिवार्य बनाते हैं कि "किसी बच्चे के 18 वर्ष पूरा करने और ऐसी स्थिति में बाल देखरेख संस्था छोड़ने पर उसे निर्धारित तरीके से समाज की मुख्यधारा में पुनः एकीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है"।

पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) उन सभी युवाओं/किशोर–किशोरियों हेतु है, जो अपने बचपन के दौरान किसी भी प्रकार की वैकल्पिक देखभाल में पले–बढ़े हैं, जैसे कि बालगृह, संप्रेक्षण गृह या उपयुक्त सुविधाएं, आदि और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें वह गृह छोड़ना पड़ रहा हो। देखरेख संस्था छोड़, स्वतंत्र जीवन जीने की ओर बढ़ना युवाओं हेतु विभिन्न चुनौतियों के साथ–साथ अवसर प्रदान करने वाला बदलाव है क्योंकि वे अनदेखी परिस्थितियों और भावनात्मक परिवर्तनों से गुजरते हैं। यह बदलाव की स्थिति एक संवेदनशील अवधि है क्योंकि यदि इस समय युवाओं को आवश्यक समर्थन नही मिला तो उनके लिए उपलब्ध अवसर उनसे छूट सकते हैं।

पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं को बाल देखरेख संस्था छोड़ने पर उनकी शिक्षा जारी रखने हेतु समर्थन के साथ–साथ, रोजगार योग्य कौशल और प्लेसमेंट, उधोग शिक्षुता (इनडस्टरी अप्रेन्टसशिप), व्यवसाय शुरू करने हेतु ऋण सहायता व समाज की मुख्यधारा में उनके पुनः एकीकरण तथा उन्हें रहने का स्थान प्रदान करने के प्रावधान है।

**पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) हेतु मानदंडः**

प्रत्येक युवा संवासी जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और जिसे एक बच्चे के रूप में वैकल्पिक देखभाल के किसी भी औपचारिक या अनौपचारिक रूप में देखरेख और संरक्षण प्रदान किया गया हो (अर्थात, 18 वर्ष से कम आयु के दौरान), वह पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) प्राप्त करने हेतु पात्र है। ऐसी सुविधा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ–साथ कानून से संर्घषरत् बच्चों हेतु भी अनुमन्य है। उन्हें निर्धारित तरीके से देखभाल सेवाओं और सुविधाओं के साथ निकट समर्थन और निरंतर दीर्घकालिक देखभाल प्रदान की जाएगी।.

**पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) की अवधिः**

- युवाओं को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर अधिकतम तीन वर्ष (21 वर्ष की आयु तक) के लिए पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) सहायता प्रदान की जाएगी।
- अपवादात्मक परिस्थितियों में उन्हें 23 वर्ष की आयु तक या उनके समाज की मुख्यधारा से जुड़ने तक (जो भी पहले हो) इसे बढ़ाया जा सकता है।

**वित्तीय मानदंडः**

भोजन, कपड़े, आश्रय, आयु उपयुक्त एवं आवश्यकता आधारित शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्टाइपेन्ड व स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श सेवायें, विशेषज्ञ सेवायें, व्यवसायिक खेलकूद प्रशिक्षण सहित किशोरों की किन्हीं अन्य आवश्यकताओं व बुनियादी जरूरतों को

पूरा करने हेतु व्यक्तिगत पश्चात देखरेख योजना (आई0ए0पी0) को पूरी तरह से क्रियान्वित करने हेतु बाल देखरेख संस्थाओं/संगठनों/अधिकतम आठ युवाओं के समूह/व्यक्तियों को प्रति किशोर प्रति माह 4,000/– रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल हासिल करने में मदद करना और उन्हें समाजिक जीवन के अनुकूल बनाने में सक्षम करना होगा।

**पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) सुविधाएं और सेवाएं:**

पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित चार चरण शामिल होंगे:

- संस्था के बाहर जीवनयापन की तैयारी (युवाओं के संस्थागत/पालक देखरेख के रूप में जितना शीघ्र हो सके अथवा अधिकतम उनके 16 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही यह तैयारी शुरू की जायेगी)।
- समाज में स्वतंत्र रूप से जीवनयापन की तैयारी का आंकलन (17 से 18 वर्ष के बीच)
- पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) में स्थानन (प्लेसमेंट): उपरोक्त बिन्दू में 16 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर शुरू की गई तैयारी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही क्रियान्वित किया जाएगा।
- मुख्यधारा में पुर्नवास, पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) से निकास तथा पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) के उपरांत 2 वर्षों तक फॉलो– अप किया जायेगा।

**पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) सहायता और सेवाएं मात्र वित्तीय सहायता तक ही सीमित नहीं होंगी बल्कि:**

- पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) के बारे में निर्णय लेते समय, उनकी आयु के सापेक्ष अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं जैसे उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों, मानसिक आयु, विशेष आवश्यकताओं, अक्षमताओं और उनके व्यक्तिगत कौशल पर भी विचार किया जाएगा।
- सभी युवाओं का मूल्यांकन किया जाएगा और उनके भविष्य के लक्ष्यों के बारे में निर्णय लेने में उनकी सहायता की जायेगी।
- जिलाधिकारी की देखरेख में पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) प्राप्त करने वाले युवाओं को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर बाल देखरेख संस्थायें तथा जिला बाल संरक्षण इकाई, निम्नलिखित सहायता व दस्तावेज़ प्राप्त/तैयार करने में सहयोग करेंगी:
  - जन्म, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, आधार, पैन, राशन, आयुष्मान, वोटर, बी0पी0एल0 या समतुल्य कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, बैंक खाता, पासपोर्ट, गैस कनैक्शन, मोबाइल, सिम कार्ड आदि। यह सभी दस्तावेज उन्हें अपने भविष्य के जीवन हेतु आवश्यक होंगें।
  - निःशुल्क उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार परक कौशल/व्यवसायिक प्रशिक्षण, अपरेंटिस प्रशिक्षण तथा रोज़गार समर्थन।

- परिवार/विस्तारित परिवार के साथ फिर से जोडने के प्रयास, (जहां भी संभव हो)।
- आवास/आवासीय सुविधा, आवासीय परिसर में कंप्यूटर, इंटरनेट, मनोरंजन सामग्री और अन्य सुविधाएं।
- स्वतंत्र जीवन कौशल, कौशल विकास, मेन्टरशिप व करियर संबंधी परामर्श तथा सामाजिक समर्थन।
- स्वास्थ्य, चिकित्सा देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य और सहायता।
- आवश्यकतानुसार विशेष पेशेवर परामर्श सेवाएं, नशामुक्ति सेवाएं व समूह हस्तक्षेप जिससे उन्हें समाज में मुख्यधारा में लाया जा सके।

- युवाओं के आश्रय समर्थन हेतु अलग–अलग परिसर में देखरेख और संरक्षण की सुविधा होगी।
- छह से आठ युवाओं के समूह हेतु किराये पर आवास सुविधा/अस्थायी आधार पर सामुदायिक सामूहिक आवास की सुविधा प्राप्त की जा सकती है।
- समुदाय के भीतर पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा। इस हेतु जन–प्रतिनिधियों को संवेदित करते हुये उनका सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
- उनकी रुचि के आधार पर, उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या नॉन–कॉलेजिएट, किसी भी निरंतर शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश, इच्छाअनुसार अंग्रेजी या किसी तीसरी भाषा का ज्ञान, आदि अर्जित करने को प्रोत्साहन/सहायता।
- कंप्यूटर कौशल, कार्य के सभी क्षेत्रों में एक अभिन्न अंग है। सभी युवाओं को कंप्यूटर शिक्षा के अवसर प्रदान किये जायेंगें जिससे उन्हें तकनीकी ज्ञान से खुद को समृद्ध करने का अवसर मिले।
- व्यावसायिक प्रशिक्षणः युवाओं को एक उपयुक्त व्यवसाय में शामिल होने या विश्वविद्यालयों/पेशेवर एजेंसियों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई0टी0आई0), पॉलीटेक्निक कॉलेजों और विभिन्न कॉर्पोरेट क्षेत्रों जैसे तकनीकी संस्थानों द्वारा पेश किए गए प्रमाणित कौशल विकास पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने की सुविधा, प्रदेश के विभिन्न विभागों, राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम, भारतीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, जन शिक्षण संस्थान और ऐसे अन्य केंद्र या राज्य सरकार के कार्यक्रमों और कॉर्पोरेट के समन्वय के माध्यम से कौशल विकास और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कौशल प्रशिक्षण और नियुक्ति की व्यवस्था, जिसमें कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए युवा मामलों या श्रम विभाग और अन्य एजेंसियों के साथ अभिसरण शामिल है।
- स्वास्थ्य, चिकित्सा देखभाल और मानसिक स्वास्थ्यः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/आयुष्मान भारत के अंतर्गत नियमित स्वास्थ्य जांच और लाभ, पेशेवर डॉक्टरों/अस्पतालों के साथ जुड़ाव, जिससे आवश्यकतानुसार युवा स्वयं सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, सहायता और परामर्श सेवाएं भी शामिल होंगी।

- जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस, किशोरी स्वास्थ्य दिवस (हर माह की 8 तारीख), राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किशोर स्वास्थ्य केंद्र अर्श क्लीनिक/साथिया केंद्र, साप्ताहिक आयरन फोलिक वितरण, निःशुल्क सेनेटरी नेपकिन, व राशन की सुविधा।
- रोजगार के उपयुक्त अवसर, प्रशिक्षुता तथा उद्यम स्थापित करने के इच्छुक युवाओं हेतु ऋण और सब्सिडी की व्यवस्था करने हेतु प्रयास।
- सभी युवाओं को आवास, रोजगार, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और उस समय मौजूद ऋण/वित्तीय योजनाओं से संबंधित सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में वरीयता प्रदान करने हेतु पैरवी।
- स्वतंत्र जीवनयापन कौशलः आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र जीवनयापन हेतु जीवन कौशल प्रशिक्षण, जिसमें राज्य या संस्थागत समर्थन के साथ खुद को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रोत्साहन शामिल है। इसमें, निर्णय लेने, अपने घर और वित्त का प्रबंधन, भविष्य के लिए बचत, समस्या समाधान, लैंगिक शिक्षा, तनाव से निपटने, उपलब्ध सामाजिक, कानूनी और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी तक पहुंच और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के बारे में जानकारी, संघर्ष समाधान पर जानकारी और जागरूकता शामिल होगी।
- पुनर्वास योजनाओं के विषय में विचार–विमर्श करने हेतु युवाओं को नियमित रूप से परामर्शदाता की सुविधा। जीवन में आए संकटों से उबरने हेतु आवश्यक निर्णय लेने, अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूकता, अलग–अलग बैंक खातों को स्वतंत्र रूप से संचालित करना, कानूनी सहायता व सेवाओं से जोड़ना।
- युवाओं को एक समूह के रूप में एक साथ आने के लिए प्रोत्साहित करने और अपने जनपदों/ब्लॉकों में केयर लीवर्स एसोसिएशन/समूह बनाने और अपनी युवा पीढ़ियों हेतु सहकर्मी सलाहकार बनने के लिए विशेष प्रयास। इस हेतु उनकी क्षमतावृद्धि व प्रशिक्षण।

पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) प्रक्रियाः

- **स्थानन (प्लेसमेंट) पूर्व सेवाएं:**
- **जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल देखरेख संस्था द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) हेतु युवाओं की पहचान और अनुसंशा की कार्यवाहीः** बाल देखरेख संस्था में 16 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी बच्चे जिनके 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बावजूद अपने भरण–पोषण हेतु राज्य सरकार पर आश्रित होने की क्षणिक भी संभावना हो तो ऐसे सभी बच्चों की पहचान तथा उनकी पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) योजना का विकास।
- देखभाल में रहने वाले **बच्चों को स्वतंत्र रूप से जीवनयापन हेतु तैयार करने की प्रक्रिया** 16 वर्ष की आयु से ही शुरू की जायेगी। इसमें भविष्य (कैरियर) हेतु मार्गदर्शन और परामर्श, भावनात्मक समर्थन, सलाह समर्थन, जीवन कौशल प्रशिक्षण और पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) कार्यक्रम के बाद पुनर्वासित किए गए युवाओं के साथ बातचीत आदि के माध्यम से बाल देखरेख संस्था में रहने के दौरान बच्चे

की तैयारी शामिल है, इससे उन्हें संस्था या गैर–संस्थागत ढांचे के बाहर स्वतंत्र जीवनयापन की तैयारी करने की दिशा में मदद मिलेगी।

- जब बाल देखरेख संस्था में कोई भी बच्चा 16 वर्ष की उम्र पूरी करता है, तो बाल देखरेख संस्था यह आंकलन करेगी कि वह संस्था छोड़ने के बाद समाज में एक स्वतंत्र जीवन में समायोजित हो पाएगा या नहीं। 16 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए एक मूल्यांकन रिपोर्ट और पुनर्वास योजना तैयार की जाएगी, ताकि उस समय से एक वर्ष के भीतर **स्वतंत्र रूप से रहने में सक्षम होने की तैयारी का आंकलन** किया जा सके और सभी आंकलन बच्चे के व्यक्तिगत देखरेख (पश्चात) योजना आई0सी0(ए0)पी0 का अभिन्न अंग होंगे।
- संस्थागत देखभाल छोड़ने वाले युवा वयस्कों को अपनी स्वयं की **पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) की योजना की तैयारी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित** किया जाना चाहिए।
- **जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा दस्तावेजों की जांचः** संरक्षण अधिकारी (संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल)/परिवीक्षा अधिकारी या बाल देखरेख संस्था, अनुशंसित बच्चों की पात्रता के लिए दस्तावेजों की जांच करेंगे। इसके बाद बच्चों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा और अनुमोदन के लिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी को भेजा जाएगा।
- **बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा स्थानन (प्लेसमेन्ट) आदेशः** पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) कार्यक्रम में सभी प्लेसमेंट बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेशों के माध्यम से होंगे। इस आदेश की एक प्रति जिला बाल संरक्षण अधिकारी/जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजी जाएगी, जो वास्तविक प्लेसमेंट, धनराशि जारी करने और युवाओं के कल्याण व देखरेख की निगरानी की सुविधा प्रदान करेंगें।
- पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) सुविधा प्रत्येक युवा की प्रगति का प्रबंधन और निगरानी हेतु व्यवस्था निर्धारित करेगी।
- प्रत्येक युवा की व्यक्तिगत पश्चात देखभाल योजना (आई0ए0पी0) होगी जिसकी समीक्षा प्रत्येक छह महीने में संरक्षण अधिकारी (संस्थागत/गैर संस्थागत देखभाल)/परिवीक्षा अधिकारी, बाल देखरेख संस्था द्वारा युवाओं के परामर्श से की जायेगी।
- सभी युवा जो राज्य के किसी भी समर्थन के बिना स्वंय अपना भरण–पोषण करना शुरू करेंगें उनका कम से कम दो वर्षों तक प्रगति और मुख्यधारा में जुडने के संदर्भ में फॉलो–अप (ट्रैक) किया जाएगा।
- **पोस्ट प्लेसमेंट सेवाएंः** विभाग द्वारा प्लेसमेन्ट के उपरांत नियमानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

**निगरानी और समीक्षाः**

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किया जाने वाला दस्तावेजीकरणः

(1) निम्नवत् पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल युवाओं का मास्टर रजिस्टरः

- ए) स्थानन की तिथि,
- बी) लिंग
- ग) स्थानन के समय आयु
- डी) माता–पिता की स्थिति
- ई) बाल देखरेख संस्था में देखभाल पूरा होने की तिथि

(2) पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) में रखे गए प्रत्येक युवा की व्यक्तिगत फाइलः इसमें निम्नलिखित विवरण और दस्तावेज होने चाहिएः

- स्थानन के समय परिकल्पित व्यक्तिगत पश्चात देखभाल योजना
- बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड का स्थानन आदेश
- बच्चे और संस्था के भ्रमणों की संख्या
- युवाओं की शैक्षिक उपलब्धियों, व्यावसायिक प्रशिक्षणों और संरक्षण अधिकारी के प्रत्येक दौरे के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर आख्या
- निगरानी समिति की आख्या
- देखभाल योजनाओं के अनुपालन की सीमा और गुणवत्ता के संदर्भ में प्लेसमेंट की प्रत्येक समीक्षा के समय किए गए अवलोकन
- पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) पूरा करने की तिथि और कारण

**विभिन्न हितधारकों के सामान्य दायित्वः**

- जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना तथा पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) पर अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रलेखन के संचालन हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता। राजकीय पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव तथा निगरानी हेतु एम0आई0एस0 की व्यवस्था।
- जिला बाल संरक्षण ईकाई, शिक्षा, चिकित्सीय सहायता, पोषण, व्यवसायिक व कौशल प्रशिक्षण इत्यादि पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) सुविधा प्रदाताओं की सूची तैयार करेगी तथा सूची को बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल देखरेख संस्थाओं से साझा करेगी।
- प्रत्येक संस्था 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए आई0ए0पी0 के साथ अनुमोदित सूची जिला बाल संरक्षण इकाई को अग्रिम रूप से 18 वर्ष के होने से 2 माह पहले प्रेषित करेंगी।
- बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय स्थानन पश्चात योजना की निगरानी करते समय देखरेख कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता की जांच भी विशेषकर इस संदर्भ में करेंगे कि क्या इस कार्यक्रम का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, जिसके लिए यह देखरेख प्रदान की गई है और ऐसे पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) कार्यक्रम के परिणामस्वरूप युवा द्वारा की गई प्रगति की भी जांच करेंगे।
- बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड या बाल न्यायालय पश्चातवर्ती देखरेख (ऑफ्टरकेयर) योजना की नियमित रूप से निगरानी करेंगें।

- जिलाधिकारी किशोरों को उनकी शिक्षा जारी रखने हेतु समर्थन के साथ–साथ, रोजगार योग्य कौशल और प्लेसमेंट, उद्योग शिक्षुता, व्यवसाय शुरू करने हेतु ऋण सहायता व छात्रवृतियों को सुगम बनायेंगें। किशोरों को विभिन्न सरकारी व गैरसरकारी योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- जिलाधिकारी युवाओं की निजता व आत्मसम्मान सुनिशिचित करते हुये पुलिस, जिला बाल संरक्षण ईकाई तथा अन्य हितधारकों के माध्यम से युवाओं को प्रदान किये गये संरक्षण व अन्य व्यवस्थाओं पर निगरानी रखेंगें।

**दत्तकग्रहण, (बच्चों को कानूनी प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात गोद देना/एडॉप्शन):**

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 (संशोधित 2021) के प्रावधानों तथा देश में गोद दिये जाने (एडॉप्शन) की कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु अधिकृत केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा – सी0ए0आर0ए0) द्वारा वर्ष 2022 में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार देश में गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना है। उपरोक्त संदर्भ में निदेशालय महिला कल्याण द्वारा भी विस्तृत दिशा–निर्देश पूर्व में जारी किये गये है, प्रदेश में गोद देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु उपरोक्त का अनुपालन कराया जाये।

संलग्नक – 6

बच्चे के साथ संरक्षक का नवीनतम पासपोर्ट साइज संयुक्त फोटो चस्पा करें

# महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश
## स्पॉन्सरशिप (प्रवर्तकता कार्यक्रम)

### आवेदन–पत्र

**सभी संलग्नकों के साथ, स्वयं–सत्यापित व पूर्ण रूप से भरे गये फार्म ही स्वीकार किये जायेंगे।**

1. आवेदक का आधार नंबर: .....
2. बच्चे का आधार नंबर: .....
3. आवेदक का नाम: .....
4. आवेदक का बच्चे के साथ संबंध:
   - माता ( )
   - पिता ( )
   - संरक्षक ( )
   - स्वयं ( )
5. बच्चे का नाम (हिन्दी में).....
6. बच्चे का नाम (अंग्रेजी में).....
   .. (कृपया बच्चे का नाम नाम आधार कार्ड/फोटो पहचान पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/विद्यालय सर्टीफिकेट के अनुरूप लिखें।)
7. जन्मतिथि.....जन्म का स्थान (जिला).....
   ( सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र/विद्यालय सर्टीफिकेट के अनुरूप लिखें।)
8. माता का नाम.....
9. माता की स्थिति (जीवित या मृतक/विधवा या तलाकशुदा या परित्यक्त.....
10. मृत्यु की तिथि (मृतक होने की स्थिति में).....
11. पिता का नाम.....
12. पिता की स्थिति (जीवित या मृतक).....
13. मृत्यु की तिथि (मृतक होने की स्थिति में).....
14. वैध संरक्षक का नाम .....
15. वैध संरक्षक की स्थिति (जीवित या मृतक).....
16. मृत्यु की तिथि (मृतक होने की स्थिति में).....
17. वर्तमान संरक्षक का नाम .....
18. वर्तमान संरक्षक का बच्चे से सम्बंध.....
19. वर्तमान संरक्षक को पूर्ण पता (जिसके संरक्षण में बच्चा वर्तमान में है).....
20. बच्चे को किसी अन्य समान प्रकृति की योजना के लाभ प्राप्त होने की स्थिति.....
21. बच्चे को स्थायी पता–म0स0.....नगर/ग्राम.....ग्राम.पंचायत/मोहल्ला/वार्ड.....विकास खण्ड/तहसील,..... जनपद–.....पिन कोड.....
22. बच्चे को वर्तमान पता – म0स0.....नगर/ग्राम.....ग्राम.पंचायत/मोहल्ला/वार्ड. .....विकास खण्ड/तहसील, जनपद–.....पिनकोड.....
23. माता/पिता/माता–पिता/वैध संरक्षक की वार्षिक आय .....
24. मोबाइल न0 (यदि उपलब्ध हो).....
25. बैंक खाते का विवरण:
    खाताधारक का नाम:.....खाताधारक का बच्चे से संबंध.....
    खाता संख्या.....बैंक का नाम.....
    बैंक की शाखा व पता.....आई0एफ0एस0सी0 कोड.....

संलग्नक – 7

## कनवर्जेन्स/अभिसरण:

मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जनपद स्तर तक ही कार्मिकों का प्रावधान किया गया है और प्रदेश में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों यथा न्याय, वित्त, गृह, बाल विकास एवं पुष्टाहार, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, आयुष, श्रम, पंचायती राज, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण, दिव्यांगजन कल्याण, इलैक्ट्रॅनिक्स, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण अजिविका मिशन, उ0प्र0कौशल विकास मिशन आदि के साथ–साथ निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं/कॉरपोरेट संस्थाओं के साथ जनपद ब्लॉक और ग्राम स्तर तक अभिसरण की भूमिका महत्वपूर्ण है। उपरोक्त समस्त विभागों के साथ कन्वर्जेन्स हेतु उनकी क्षमता वद्धि एक महत्वपूर्ण घटक है, अतः विभिन्न स्तरों पर बच्चों से संबंधित मुददों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

समस्त जनपदों द्वारा वार्षिक रूप से जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त जनपद स्तरीय बाल संरक्षण कार्ययोजना निर्माण किया जाना महत्वपूर्ण है। कार्ययोजना के अंतर्गत जनपद की भौगोलिक स्थिति तथा बाल सुरक्षा संबंधित संकेतकों/मुददों के दृष्टिगत विभिन्न विभागों, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं/कॉरपोरेट संस्थाओं की विशेषज्ञता के आधार पर भूमिका तय की जायेगी और उक्त के साथ विभिन्न कार्यक्रमों यथा मिशन सक्षम ऑगनवाडी पोषण 2.0, मिशन शक्ति और केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन ईकाई (कारा) के साथ कनवर्जेन्स के माध्यम से जिलाधिकारी के नेतृत्व में क्रियान्वयन किया जायेगा। जनपदों द्वारा प्रत्येक तिमाही पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय बाल कल्याण व संरक्षण समितियों की बैठक के दौरान उक्त कार्ययोजना की प्रगति की नियमित समीक्षा की जायेगी। समस्त विभागों द्वारा ऑनलाइन मासिक और भौतिक रूप से त्रैमासिक प्रतिवेदन का प्रेषण महिला एवं बाल विकास विभाग को किया जायेगा।

**मिशन वात्सल्य के अंतर्गत विभिन्न विभागों के साथ कनवर्जेन्स/अभिसरण**

| क्र0 | विभाग | अपेक्षित सहयोग/अभिसरण के बिन्दू |
|---|---|---|
| 01 | समाज कल्याण | • संबंधित गृहों में नशामुक्ति गतिविधियॉं।<br>• छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनाथ, परित्यक्त, या आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों को शामिल करना। |
| 02 | दिव्यांगजन कल्याण | • गृहों में दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना का लाभ। |
| 03 | उ0प्र0 कौशल विकास मिशन | • गृहों और गैर–संस्थागत देखभाल में स्थापित बच्चों का अभिमुखिकरण व कौशल विकास पाठ्यक्रमों में पंजीकरण। |
| 04 | उच्च/माध्यमिक/बेसिक शिक्षा | • गृहों में आवासित बच्चों का विद्यालयों में नामांकन।<br>• शिक्षकों की गृहों में नियुक्ति। |

| | | |
|---|---|---|
| 05 | गृह/पुलिस | • ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एवं डेवेलपमेन्ट द्वारा प्रशिक्षण कैलेंडर विकसित करते हुये निपसिड के सहयोग से मिशन वात्सल्य के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण।<br>• विशेष किशोर पुलिस इकाइयों का प्रशिक्षण व क्षमतावद्धन।<br>• गह मंत्रालय की 112 पुलिय हेल्पलाइन के साथ चाइल्डलाइन सेवाओं का एकीकरण।<br>• गुमशुदा बच्चों को खोजने हेतु बेहतर अभिसरण व समन्वय।<br>• बच्चों के प्रकरणों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को जॉच अधिकारी बनाये जाने हेतु सुसंगत योजना निर्माण व अवाश्यक दिशा–निर्देश।<br>• छोटे–अपराधों जिनमें अपराध की सजा 3 वर्ष से कम है, में बच्चों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) न लिखने और बच्चों को थाने से कानूनी प्रवधानों के अंतर्गत छोड़े जाने हेतु कार्मिकों का प्रशिक्षण और सुसंगत दिशा–निर्देश। |
| 06 | राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | • प्रशिक्षण कैलेंडर विकसित करते हुये मिशन वात्सल्य के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण।<br>• महिलाओं तथा बच्चों को निशुल्क कानूनी सहयता। |
| 07 | स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण | • प्रत्येक बच्चे को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पी0एम0–जे0ए0वाई0) कार्ड प्रदान करते हुये 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज।<br>• व्यक्तिगत देखरेख योजना और बाल चिकित्सा सेवाओं सहित किशोर न्याय नियमों के अनुसार गृहों में चिकित्साधिकारी (चिकित्सक) की सेवाओं की उपलब्धता।<br>• गृहों के सभी बच्चों के टीकाकरण का प्रबंध।<br>• विधि से संघर्षरत् बच्चों के प्रारंभिक मूल्यांकन हेतु क्लीनीकल मनोवैज्ञानिक/ मनोचिकित्सक/ सोशलवर्कर मनोवैज्ञानिक/परामर्शदाता की नियुक्ति।<br>• गृहों में बच्चों के लिए नियमित राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर0के0एस0के0) के अंतर्गत स्वास्थ्य जांच और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श का आयोजन।<br>• गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन संशोधित अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत नाबालिक गर्भवती बालिकाओं को सुरक्षित गर्भापात की सुविधा।<br>• पॉक्सो प्रकरणों में पीडित बालिकाओं के गर्भापात की स्थिति में स्थानीय पुलिस से उनके भ्रूण को सुरक्षित रखने हेतु संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण व आवश्यक दिशा–निर्देश।<br>• पॉक्सो पीडितों सहित बाल कल्याण समितियों/किशोर न्याय बोर्ड से संदर्भित बच्चों को प्राथमिकता पर जनरल स्वास्थ्य जांच, विशेष चिकित्सीय तथा आयु परीक्षण की सुविधा।<br>• गृहों में निवासरत् महिलाओं/ गर्भवती/ धात्री बालिकाओं/ महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस, किशोरी स्वास्थ्य दिवस, किशोर स्वास्थ्य केंद्र अर्श क्लीनिक/साथिया केंद्र, |

| | | |
|---|---|---|
| | | साप्ताहिक आयरन फोलिक वितरण, निःशुल्क सेनेटरी नेपकिन की व्यवस्था। |
| 08 | कोरपोरेट कार्य | • गैर–संस्थागत देखरेख को मजबूत करने के साथ–साथ गृहों में सी0एस0आर0 गतिविधियों को बढ़ावा। |
| 09 | आयुष | • बच्चों के समग्र कल्याण हेतु आयुष केंद्रों को गृहों से जोड़ने के लिए आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का कैलेंडर। |
| 10 | इलैक्ट्रॅनिक्स, सूचना एवं प्रद्योगिकी | • डिजिटल साक्षरता हेतु गृहों के लिये गतिविधि कैलेंडर। |
| 11 | पंचायती राज | • बाल पंचायत का आयोजन।<br>• ब्लॉक और ग्राम स्तरीय बाल कल्याण व संरक्षण समितियों की सुविधा हेतु मानकनुसार 5 प्रतिशत बजट आवंटन।<br>• विभिन्न स्तरों पर गठित बाल कल्याण तथा संरक्षण समितियों को सशक्त करने हेतु विभाग के अंतर्गत कार्यरत् कार्मिकों का प्रशिक्षण व सुसंगत दिशा–निर्देश। |
| 12 | श्रम | • शिक्षा मंत्रालय के समग्र शिक्षा अभियान के साथ विलय की जाने वाली राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना के अनुसार बाल श्रम की घटनाओं को कम करने और बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्माण।<br>• रेस्क्यू अभियानों का संचालन।<br>• रेस्क्यू किये गये बच्चों को अन्य विभागों की विभिन्न योजनाओं हेतु संदर्भित करना।<br>• बाल श्रम करा रहे न्योक्ताओं पर कानूनी कार्यवाही करते हुये महिला एवं बाल विकास विभाग को अवगत कराना। |
| 13 | न्याय | • फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना।<br>• मामलों के शीघ्र निपटान हेतु न्यायालयों में पर्याप्त मानव संसाधन सुनिश्चित करना। |
| 14 | बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार | • बाल देखरेख संस्थाओं में आवासित छोटे बच्चों व किशोरी बालिकाओं/गर्भवती धात्रियों को ऑगनवाड़ी केन्द्रों से जोड़ते हुये विभिन्न पोषण व स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों का लाभ।<br>• अनुभव के आधार पर समय–समय पर बच्चों के भोजन मेन्यू में गुणवत्ता पूर्ण पोषण को शामिल करने हेतु सुझाव।<br>• विभिन्न स्तरों पर गठित बाल कल्याण तथा संरक्षण समितियों को सशक्त करने हेतु विभाग के अंतर्गत कार्यरत् कार्मिकों का प्रशिक्षण व सुसंगत दिशा–निर्देश। |
| 15 | खेलकूद विभाग | • संस्थाओं में निवासरत् बच्चों को विभाग की योजनाओं का लाभ देने हेतु आवश्यक योजना निर्माण व क्रियान्वयन।<br>• गृहों सहित अन्य बच्चों के समग्र विकास हेतु खेलकूद का मैदान प्रत्येक बच्चे की पहुँच में हो, इस हेतु महिला कल्याण, ग्रामीण व शहरी विकास व अन्य विभागों के साथ योजना निर्माण। |
| 16 | महिला एवं बाल विकास | • नोडल विभाग की भूमिका में मिशन वात्सल्य का संचालन।<br>• विभिन्न विभागों व संस्थाओं के साथ कनवर्जेंस व समन्वय।<br>• योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बच्चों से संबंधित विभिन्न |

| | | |
|---|---|---|
| | | कानूनों, मुददों प्रावधानों, योजनाओं पर विभागों, संस्थाओं व प्रशासनिक अधिकारियों का अभिमुखिकरण/प्रशिक्षण।<br>• विभिन्न स्तरों पर गठित बाल कल्याण तथा संरक्षण समितियों को सशक्त करने हेतु कार्मिकों का प्रशिक्षण व सुसंगत दिशा–निर्देश।<br>• गृहों का पंजीकरण, नवीनीकरण, संचालन तथा स्थापना।<br>• संगठनात्मक ढांचे का निर्माण।<br>• कार्यक्रम की रिपोर्टिंग, निगरानी तथा समीक्षा।<br>• बच्चों से संबंधित विभिन्न अधिकारों/ कानूनों/ नीतियों/ योजनाओं/प्रावधानों आदि को लागू करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश तथा समस्त कार्य। |
| 17 | गैर सरकारी संस्थायें/शैक्षिक संस्थान/विशेषज्ञ/ व्यक्ति विशेष/ यूनिसेफ | • बच्चों से संबंधित विभिन्न अधिकारों/ कानूनों/ नीतियों/ योजनाओं/प्रावधानों आदि में अनुभवी गैर सरकारी संस्थायें/शैक्षिक संस्थान/विशेषज्ञ/ व्यक्ति विशेष तथा यूनिसेफ द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान करना।<br>• अधिकारों/कानूनों/नीतियों/योजनाओं/प्रावधानों के निर्माण, संचार–रणनीति, क्रियान्वयन, प्रचार–प्रसार, समीक्षा व निगरानी हेतु तकनीकी सहयोग।<br>• विभिन्न कार्यक्रमों हेतु आर्थिक व मानव संसाधन सहयोग।<br>• कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव। |
| | | **विभिन्न योजनाओं के साथ कन्वर्जेन्स्** |
| 18 | मिशन सक्षम ऑगनवाड़ी, पोषण 2.0 | • घर–घर (जमीनी स्तर) तक पहुंच और संपर्क हेतु आंगेनवाडी कार्यकत्री के नेटवर्क का प्रयोग।<br>• अनाथ या एकल माता–पिता वाले बच्चों सहित देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में आधारभूत डाटा का संग्रह। |
| 19 | मिशन शक्ति | • बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ/सामर्थ्य के अंतर्गत लैंगिक समानता संबंधी विषयों पर संवेदीकरण तथा पैरवी।<br>• 18 वर्ष की आयु के बाद बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाली बालिकाओं को सुचारु समर्थन हेतु शक्ति सदन और कामकाजी महिला छात्रावासों के साथ लिंकेज।<br>• संस्थागत/गैर संस्थागत देखरेख के अंतर्गत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाली किशोरी बालिकाओं (18 वर्ष से कम) के समर्थन/पुनर्वास हेतु। |
| 20 | केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन ईकाई | • गोद लेने की सुविधा हेतु राज्य दत्तकग्रहण संसाधन ईकाई द्वारा जागरूकता, पैरवी और समर्थन। |

संलग्नक – 8

## क्रियान्वयन हेतु संस्थागत ढांचाः

मिशन वात्सल्य की निगरानी, समीक्षा तथा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य, जनपद, ब्लॉक/वार्ड तथा ग्राम स्तर पर संस्थागत प्रबंध किये गये हैं। उपरोक्त संदर्भ में महिला कल्याण अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0 930/60–1–22–1/13(02)/2022, दिनांक 16 नवम्बर 2022 के माध्यम से राज्य स्तरीय निगरानी व समीक्षा समिति, राज्य/जिला/ब्लॉक/वार्ड/ग्राम बाल कल्याण व संरक्षण समितियों के गठन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। जिनका पूर्व की भांति ही अनुपालन किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य स्तर पर दत्तकग्रहण कार्यक्रम की निगरानी हेतु राज्य दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण, जनपद स्तर पर देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि से संघर्षरत् बच्चों के पुर्नवास तथा बाल सहायक वातावरण निर्माण हेतु बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड विशेष किशोर पुलिस ईकाईयों और मिशन वात्सल्य के संपूर्ण क्रियान्वयन हेतु जिला बाल संरक्षण ईकाईयों का गठन पूर्व से ही किया गया है। यह सभी ढांचे मिशन वात्सल्य के नवीन दिशा–निर्देशों के अनुपालन में कार्य करेंगें।

प्रदेश में **उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण एम0 आई0एस0 पोर्टल** विकसित किया गया है, यह कठिन परिस्थितियों में प्राप्त बच्चों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं हेतु एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा जिसमें गुमशुदा, अनाथ, परित्यक्त और अभयर्पित समस्त बच्चों की सूचनायें शामिल है। साथ ही जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाले बच्चों को चिन्हित कर योजना के अंतर्गत लाभ देने हेतु भारत सरकार द्वारा भी मिशन वात्सल्य पोर्टल विकसित किया गया है। दोनो ही पोर्टल लॉग इन आधारित हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिकृत निगरानी तंत्र में शामिल अधिकारी व ईकाई या प्राधिकारी ही इन सूचनाओं को प्राप्त व इनकी समीक्षा कर सकेंगी और भविष्य में राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण हेतु इनका प्रयोग कर सकेंगी। अतः समस्त जनपद मिशन वात्सल्य के अंतर्गत शामिल समस्त बच्चों जिनमें राजकीय व स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित गृहों के साथ–साथ बाल कल्याण समिति, और किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष आने वाले समस्त बच्चों तथा बाल न्यायालयों तथा मा0 उच्च न्यायालयों द्वारा संदर्भित किये गये समस्त बच्चों की सूचनायें अनिवार्य रूप से उपरोक्त पोर्टलों पर निरंतर अपलोड करेंगें।

मिशन वात्सल्य के अंतर्गत किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में परिभाषित बच्चों के लिए **24X7 चाइल्ड हेल्प लाइन** सेवा शुरू की जा रही है। चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से प्रत्येक जनपद में मुश्किल परिस्थितियों में प्राप्त बच्चों को आपातकालीन सहायता प्रदान की जायेगी। चाइल्ड हेल्पलाइन को गृह मंत्रालय की 112 पुलिस हेल्पलाइन के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है तथा इसका संचालन भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीन दिशा–निर्देशों के क्रम में किया जायेगा। उपरोक्त हेल्पलाइन के प्रभावी संचालन हेतु समस्त जनपद पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों पर प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक – 9

## नवाचारः

मिशन वात्सल्य के अंतर्गत निम्न रूप में नवाचारों को शुरू किया जायेगाः

- बच्चों हेतु मानसिक स्वास्थ्य एवं परामर्श सेवायें।
- बाल देखरेख संस्थाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु उनमें ग्रेडिंग सिस्टम की शुरूवात।
- राष्ट्रीय बाल सर्वेक्षण और बाल सूचकांक का विकास।
- कर्मठ कार्मिकों व व्यक्तियों को बाल संरक्षण पुरस्कार का वितरण।
- मासिक/त्रैमासिक न्यूज़लेटर्स का प्रकाशन।
- विभिन्न कार्यक्रमों में स्वयंसेवकों, स्वंयसेवी संस्थाओं, विशेषज्ञों, शैक्षणिक संस्थानों आदि को शामिल करने हेतु नियोजन व क्रियान्वयन।
- सी0एस0आर0 के माध्यम से बच्चों तथा संस्थाओं हेतु आधारभूत ढ़ाचों और संसाधनों व विशेषज्ञ सेवाओं को प्राप्त करना।
- बच्चों के प्रति संवेदनशील सुविधाओं और सेवाओं की आवश्यकता पर पर्याप्त निवेश करने व कार्यक्रम तैयार करते समय उनकी जरूरतों पर विचार करने के उददेश्य से चाइल्ड बजटिंग जैसे नवाचार।
- विभिन्न आधारभूत ढ़ांचों यथा बाल देखरेख संस्थाओं, जिला बाल संरक्षण इकाईयों, विशेष किशोर पुलिस इकाईयों, बाल कल्याण समितियों तथा किशोर न्याय बोर्डो में बाल सहायक वातावरण निर्माण हेतु निम्नवत् कार्यवाहीः

संलग्नक – 10

मॉडल बाल सहायक/मैत्री पूर्ण बाल देखरेख संस्था हेतु न्यूनतम मानक

| घटक | आवश्यक मानक |
|---|---|
| 1 | 2 |
| आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) तथा मूलभूत सुविधायें | • बालकों व बालिकाओं की निजता का सम्मान व संरक्षण के दृष्टिगत अलग–अलग शयनगृह/क्षेत्र।<br>• प्रत्येक बच्चे हेतु पृथक बेड व अधिनियम के मानकानुसार बिस्तर, आदि।<br>• संस्था में बाल सहायक चित्रों/दीवार लेखन आदि, हेल्पलाइन न0 का प्रदर्शन।<br>• विभिन्न प्रकरणों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जानकारी का प्रदर्शन।<br>• आरामदायक तापमान बनाए रखने हेतु आवश्यकतानुसार ए0सी0 या कूलर।<br>• पीने और नहाने के लिए स्वच्छ बहता गर्म/ठन्डा पानी।<br>• निर्बाध बिजली आपूर्ति। पर्याप्त रोशनी हेतु गुणवत्तापूर्ण उपकरण व व्यवस्था। सौर ऊर्जा प्रणालियों का प्रयोग। इन्वर्टर या जनरेटर बैकअप।<br>• आग या अन्य आपात स्थिति हेतु अग्नि सुरक्षा उपाय जैसे फायर अलार्म, अग्निशामक यंत्र और आपातकालीन निकास। फायर अलार्म लगाए जाने चाहिए।<br>• नियमित रखरखाव, सफाई सहित उचित वायु प्रवाह और पर्याप्त वेंटिलेशन सिस्टम।<br>• प्रत्येक बच्चे हेतु एक मेज, कुर्सी व टेबल लाइट या डेस्क लैंप सुसज्जित समर्पित स्टडी एरिया।<br>• प्रत्येक बच्चे हेतु अलमारी या लॉकर तथा छोटा पिगी बैंक।<br>• पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ व हाइजेनिक शौचालय और स्नानघर। छोटे बच्चों या दिव्यांग बच्चों हेतु पृथक व आयु अनुरूप कम उंचाई के शौचालय, वॉशबेसिन, शॉवर व नल।<br>• छोटे व दिव्यांग बच्चों सहित ऐसे स्टाफ जिन्हें सीढ़िया चढ़ने में तकलीफ है, उनके लिये रैंप, व्हीलचेयर–सुलभ प्रवेश द्वार या लिफ्ट।<br>• दिव्यांग बच्चों हेतु विशेषीकृत शिक्षण सामग्री या संचार उपकरण जैसे ब्रेल, बड़े प्रिंट या सांकेतिक भाषा उपकरण। बीमार बच्चों हेतु पृथक कमरा।<br>• मॉडयूलर किचन व बैठने की पर्याप्त व्यवस्था सहित डायनिंग एरिया।<br>• समस्त संवेदनशील क्षेत्रों जैसे प्रवेश/बाहर जाने का रास्ता, किचन/डायनिंग एरिया, लॉबी, आदि में सीसीटीवी कैमरे। कुंजी कार्ड या बायोमेट्रिक सिस्टम।<br>• कार्मिकों, बच्चों व माता–पिता के मध्य निर्बाध संचार हेतु प्रभावी संचार प्रणालियाँ जैसे फोन/मोबाईल, विडियो कॉलिंग व्यवस्था, हाई स्पीड इंटरनेट।<br>• नोटिस बोर्ड व सुझाव पेटिका, डिजिटल संचार उपकरण, जैसे ईमेल, मैसेजिंग।<br>• इन्डोर/आउटडोर गतिविधियों जैसे खेल, व्यायाम, योग, डांस आदि हेतु मैदान/स्थान तथा सामग्री/उपकरण। लाइब्रेरी तथा किचन गार्डन।<br>• स्किल बिल्डिंग हेतु आवश्यक उपकरण व स्थान। |

| | |
|---|---|
| | • अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक वस्तुयें जैसे कपडे, टायलेटरीज़ आदि।<br>• स्मार्ट टी0वी0, कम्पयूटर्स, बडा प्रोजेक्टर, वाई0फाई0 एक्सेस, म्यूसिक व डांस उपकरण। न्यूजपेपर, आवश्यक स्टेशनरी आदि की व्यवस्था। कूडा प्रबंधन व्यवस्था। |
| मानव संसाधन | • बच्चों हेतु क्रियान्वित विभिन्न अधिनियमों तथा मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत प्रस्तावित स्टाफ की 100 प्रतिशत नियुक्ति।<br>• विशेष परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार विशेषज्ञों की नियुक्ति। |
| क्षमता वृद्धि तथा संवेदीकरण | • बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों जैसे बाल यौन शोषण, बाल श्रम/भिक्षावृति/तस्करी/विवाह, गुमशुदा, अनाथ, परित्यक्त या उपेक्षित बच्चे तथा विधि से संर्घषरत् बालकों से संबंधित मुद्दों आदि पर क्षमतावर्धन।<br>• बच्चों से संबंधित विभिन्न कानूनों जैसे किशोर न्याय, पॉक्सो, बाल श्रम, बाल विवाह आदि अधिनियमों पर समस्त संबंधित कार्मिकों का क्षमतावर्धन।<br>• बच्चों से संबंधित विभिन्न योजनाओं, नीतियों, प्रावधानों आदि पर समस्त संबंधित कार्मिकों का क्षमतावर्धन।<br>• बच्चों के साथ आयु अनुरूप व्यवहार तथा विभिन्न मनोवैज्ञानिक व मनोसामाजिक मुद्दों पर समस्त संबंधित कार्मिकों का क्षमतावर्धन।<br>• अधिक आयु के बच्चों का कैरियर के अवसरों का मार्गदर्शन करने हेतु समस्त संबंधित कार्मिकों का क्षमतावर्धन।<br>• बच्चों के साथ काम करने हेतु विभिन्न कार्मिकों का संवेदीकरण।<br>• नियमित अंतराल पर कार्मिकों द्वारा किये जा रहे व्यवहार की समीक्षा।<br>• बच्चों को बाल सहायक वातावरण उपलब्ध कराये जाने पर समस्त संबंधित कार्मिकों का क्षमतावर्धन।<br>• वार्षिक प्रशिक्षण कैलेन्डर। |
| विभिन्न विभागों/ योजनाओं संस्थाओं आदि से समन्वय व अभिसरण | • बच्चों से संबंधित विभिन्न विभागों योजनाओं/संस्थाओं आदि की मैपिंग तथा रिसोर्स डायरेक्टरी।<br>विभिन्न विभागों योजनाओं/संस्थाओं के साथ समन्वय व कनवर्जेन्स्। |
| निगरानी तंत्र | • बच्चों के संरक्षण एवं देखरेख के विषयों पर बच्चों, कार्मिकों, उच्चाधिकारियों सहित राज्य स्तर पर नियमित अंतराल पर निगरानी व समीक्षा।<br>• सुझाव पेटिका तथा बाल समितियों व प्रबंधन समितियों का गठन, बैठकें व दस्तावेजीकरण।<br>• अधीक्षक द्वारा प्रतिदिन निरीक्षण।<br>• जनपद/मंडलीय/राज्य स्तरीय अधिकारियों/समितियों/विभिन्न निरीक्षण समितियों द्वारा नियमित अंतराल पर औचक निरीक्षण।<br>• जिलाधिकारी/मंडलायुक्त द्वारा औचक निरीक्षण।<br>• व्यक्तिगत देखरेख योजना, सामजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, सामाजिक जॉच रिपोर्ट, केस प्रोफाइल आदि का शत–प्रतिशत अनुपालन। |

## मॉडल बाल सहायक/मैत्री पूर्ण बाल कल्याण समिति न्यूनतम मानक

| घटक | आवश्यक मानक |
|---|---|
| 1 | 2 |
| आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) तथा मूलभूत सुविधायें | • बच्चों/माता–पिता/आगन्तुकों हेतु रिसेप्शन एरिया।<br>• समिति की बैठक हेतु पर्याप्त स्थान जहॉ कम से कम समिति, बच्चे, प्रस्तुत करने वाले हितगामी और बच्चे के माता–पिता एक साथ बैठक कर बातचीत कर सके।<br>• पर्याप्त मात्रा में कुर्सी व मेज आदि। समिति तथा बच्चों/अन्य के बैठने हेतु कुर्सी एक बराबर उंची होनी चाहिये।<br>• समिति में बाल सहायक चित्रों/दीवार लेखन आदि। हेल्पलाइन न0 का प्रदर्शन।<br>• विभिन्न प्रकरणों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जानकारी का प्रदर्शन।<br>• आरामदायक तापमान बनाए रखने हेतु आवश्यकतानुसार ए0सी0 या कूलर।<br>• पीने हेतु स्वच्छ बहता गर्म/ठन्डा पानी।<br>• निर्बाध बिजली आपूर्ति, पर्याप्त रोशनी प्रदान करने हेतु गुणवत्तापूर्ण उपकरण व व्यवस्था। सौर ऊर्जा प्रणालियों का प्रयोग। इन्वर्टर या जनरेटर बैकअप।<br>• आग या अन्य आपात स्थिति हेतु अग्नि सुरक्षा उपाय जैसे फायर अलार्म, अग्निशामक यंत्र और आपातकालीन निकास। फायर अलार्म लगाए जाने चाहिए।<br>• नियमित रखरखाव और सफाई सहित उचित वायु प्रवाह और पर्याप्त वेंटिलेशन सिस्टम।<br>• समिति के दस्तावेजों के रखरखाव हेतु पर्याप्त अलमारी।<br>• महिला एवं पुरूषों हेतु स्वच्छ व हाइजेनिक शौचालय। छोटे बच्चों या दिव्यांग बच्चों हेतु पृथक व आयु अनुरूप कम उंचाई के शौचालय, वॉशबेसिन व नल।<br>• छोटे व दिव्यांग बच्चों सहित ऐसे स्टाफ जिन्हें सीढ़िया चढ़ने में तकलीफ है, उनके लिये रैंप, व्हीलचेयर–सुलभ प्रवेश द्वार या लिफ्ट।<br>• रिसेपशन एरिया में छोटी लाइब्रेरी तथा सभी आयु के बच्चों के खेलने, पेटिंग/आर्ट/क्राफ्ट इत्यादि की व्यवस्था।<br>• छोटा किचन चाय –बिस्किट इत्यादि की व्यवस्था।<br>• सीसीटीवी कैमरे, कुंजी कार्ड या बायोमेट्रिक सिस्टम।<br>• समिति, कार्मिकों, बच्चों और माता–पिता/अभिभावकों के मध्य निर्बाध संचार हेतु प्रभावी संचार प्रणालियाँ जैसे फोन/मोबाईल, विडियो कॉलिंग/कॉन्फ्रेन्सिंग व्यवस्था, हाई स्पीड इंटरनेट।<br>• नोटिस/साफ्ट बोर्ड तथा सुझाव पेटिका। डिजिटल संचार उपकरण, जैसे कम्प्यूटर ईमेल या मैसेजिंग ऐप। कूडा प्रबंधन व्यवस्था। न्यूजपेपर, आवश्यक स्टेशनरी आदि की व्यवस्था। गार्ड की व्यवस्था। |

| | |
|---|---|
| मानव संसाधन | • बैठकों में समिति अध्यक्ष/सदस्यों की न्यूनतम 6 घंटे उपस्थिति।<br>• बैठक के अतिरिक्त रोस्टर व्यवस्था।<br>• बच्चों हेतु क्रियान्वित विभिन्न अधिनियमों तथा मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत प्रस्तावित स्टाफ की 100 प्रतिशत नियुक्ति।<br>• विशेष परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार विशेषज्ञों की नियुक्ति/से लिंकेज।<br>• आई0डी0 कार्डस्। |
| क्षमता वृद्धि तथा संवेदीकरण | • बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों जैसे बाल यौन शोषण, बाल श्रम/भिक्षावृति/तस्करी/विवाह, गुमशुदा, अनाथ, परित्यक्त या उपेक्षित बच्चे तथा विधि से संर्घषरत् बालकों से संबंधित मुददों आदि पर क्षमतावर्धन।<br>• बच्चों से संबंधित विभिन्न कानूनों जैसे किशोर न्याय, पॉक्सो, बाल श्रम, बाल विवाह आदि अधिनियमों पर क्षमतावर्धन।<br>• बच्चों से संबंधित विभिन्न योजनाओं, नीतियों, प्रावधानों आदि पर क्षमतावर्धन।<br>• बच्चों के साथ आयु अनुरूप व्यवहार तथा विभिन्न मनोवैज्ञानिक व मनोसामाजिक मुद्दों पर क्षमतावर्धन।<br>• अधिक आयु के बच्चों का कैरियर के अवसरों का मार्गदर्शन करने हेतु क्षमतावर्धन।<br>• बच्चों के साथ काम करने हेतु संवेदीकरण।<br>• समिति में बाल सहायक वातावरण उपलब्ध कराये जाने पर क्षमतावर्धन।<br>• वार्षिक प्रशिक्षण कैलेन्डर। |
| विभिन्न विभागों/ योजनाओं संस्थाओं आदि से समन्वय व अभिसरण | • बच्चों से संबंधित विभिन्न विभागों/ योजनाओं/संस्थाओं/ विशेषज्ञों आदि की मैपिंग तथा रिसोर्स डायरेक्टरी।<br>• विभिन्न विभागों योजनाओं/संस्थाओं के साथ समन्वय व कनवर्जेन्स्। |
| निगरानी तंत्र | • राज्य स्तरीय अधिकारियों/समितियों द्वारा नियमित अंतराल पर निरीक्षण/समीक्षा।<br>• जिलाधिकारी/मंडलायुक्त द्वारा औचक निरीक्षण।<br>• किशोर न्याय अधिनियम सहित विभिन्न अधिनियमों के अनुरूप दस्तावेजों का रखरखाव।<br>• मासिक रिपोर्ट का संकलन व प्रेषण।<br>• जिलाधिकारी द्वारा कार्यकलापों की त्रैमासिक समीक्षा।<br>• समाप्त किये गये केसों में बच्चे, माता–पिता/अभिभावक, हितगामियों का फीडबैक। |

## मॉडल बाल सहायक/मैत्री पूर्ण किशोर न्याय बोर्ड हेतु न्यूनतम मानक

| घटक | आवश्यक मानक |
|---|---|
| 1 | 2 |
| आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) तथा मूलभूत सुविधायें | • बच्चों/माता–पिता/आगन्तुकों हेतु रिसेप्शन एरिया।<br>• बोर्ड की बैठक हेतु पर्याप्त स्थान जहॉ कम से कम बोर्ड, बच्चे, प्रस्तुत करने वाले हितगामी और बच्चे के माता–पिता एक साथ बैठक कर बातचीत कर सके।<br>• पर्याप्त मात्रा में कुर्सी व मेज आदि।<br>• बोर्ड तथा बच्चों/अन्य के बैठने हेतु कुर्सी एक बराबर उंची होनी चाहिये।<br>• कठगरा नहीं होना चाहिये।<br>• बोर्ड में बाल सहायक चित्रों/दीवार लेखन आदि। हेल्पलाइन न0 का प्रदर्शन।<br>• विभिन्न प्रकरणों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जानकारी का प्रदर्शन।<br>• आरामदायक तापमान बनाए रखने हेतु आवश्यकतानुसार ए0सी0 या कूलर। पीने हेतु स्वच्छ बहता गर्म/ठन्डा पानी।<br>• निर्बाध बिजली आपूर्ति, पर्याप्त रोशनी प्रदान करने हेतु गुणवत्तापूर्ण उपकरण व व्यवस्था।<br>सौर ऊर्जा प्रणालियों का प्रयोग। इन्वर्टर या जनरेटर बैकअप।<br>• आग या अन्य आपात स्थिति हेतु अग्नि सुरक्षा उपाय जैसे फायर अलार्म, अग्निशामक यंत्र और आपातकालीन निकास। फायर अलार्म लगाए जाने चाहिए।<br>• नियमित रखरखाव और सफाई सहित उचित वायु प्रवाह और पर्याप्त वेंटिलेशन सिस्टम।<br>• बोर्ड के दस्तावेजों के रखरखाव हेतु पर्याप्त अलमारी।<br>• महिला एवं पुरूषों हेतु स्वच्छ व हाइजेनिक शौचालय।<br>• छोटे बच्चों या दिव्यांग बच्चों हेतु पृथक व आयु अनुरूप कम उंचाई के शौचालय, वॉशबेसिन व नल।<br>• छोटे व दिव्यांग बच्चों सहित ऐसे स्टाफ जिन्हें सीढ़िया चढ़ने में तकलीफ है, उनके लिये रैंप, व्हीलचेयर–सुलभ प्रवेश द्वार या लिफ्ट।<br>• रिसेपशन एरिया में छोटी लाइब्रेरी तथा सभी आयु के बच्चों के खेलने, पेंटिंग/आर्ट/क्राफ्ट इत्यादि की व्यवस्था।<br>• छोटा किचन, चाय –बिस्किट इत्यादि की व्यवस्था।<br>• सी0सी0टी0वी0 कैमरे। कुंजी कार्ड या बायोमेट्रिक सिस्टम।<br>• बोर्ड, कार्मिकों, बच्चों और माता–पिता/अभिभावकों के मध्य निर्बाध संचार हेतु प्रभावी<br>• संचार प्रणालियाँ जैसे फोन/मोबाईल, विडियो कॉलिंग/कॉन्फ्रेन्सिंग व्यवस्था, हाई स्पीड इंटरनेट। नोटिस/साफ्ट बोर्ड तथा सुझाव पेटिका।<br>• डिजिटल संचार उपकरण, जैसे कम्प्यूटर ईमेल या मैसेजिंग ऐप। |

| | |
|---|---|
| | • कूडा प्रबंधन व्यवस्था।<br>• गार्ड की व्यवस्था।<br>• न्यूजपेपर, आवश्यक स्टेशनरी आदि की व्यवस्था। |
| मानव संसाधन | • बैठकों में बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट/सदस्यों की नियमित उपस्थिति।<br>• बोर्ड में प्रधान मजिस्ट्रेट की अनन्य (एक्सक्लूज़िव) नियूक्ति।<br>• बैठक के अतिरिक्त रोस्टर व्यवस्था।<br>• बच्चों हेतु क्रियान्वित विभिन्न अधिनियमों तथा मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत प्रस्तावित स्टाफ की 100 प्रतिशत नियुक्ति।<br>• विशेष परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार विशेषज्ञों की नियुक्ति/से लिंकेज। |
| क्षमता वृद्धि तथा संवेदीकरण | • बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों जैसे बाल यौन शोषण, बाल श्रम/भिक्षावृति/तस्करी/विवाह, गुमशुदा, अनाथ, परित्यक्त या उपेक्षित बच्चे तथा विधि से संर्घषरत् बालकों से संबंधित मुद्दों आदि पर क्षमतावर्धन।<br>• बच्चों से संबंधित विभिन्न कानूनों जैसे किशोर न्याय, पॉक्सो, बाल श्रम, बाल विवाह आदि अधिनियमों पर क्षमतावर्धन।<br>• बच्चों से संबंधित विभिन्न योजनाओं, नीतियों, प्रावधानों आदि पर क्षमतावर्धन।<br>• बच्चों के साथ आयु अनुरूप व्यवहार तथा विभिन्न मनोवैज्ञानिक व मनोसामाजिक मुद्दों पर क्षमतावर्धन।<br>• अधिक आयु के बच्चों का कैरियर के अवसरों का मार्गदर्शन करने हेतु क्षमतावर्धन।<br>बच्चों के साथ काम करने हेतु संवेदीकरण।<br>• बोर्ड में बाल सहायक वातावरण उपलब्ध कराये जाने पर क्षमतावर्धन।<br>• वार्षिक प्रशिक्षण कैलेन्डर। |
| विभिन्न विभागों/योजनाओं संस्थाओं आदि से समन्वय व अभिसरण | • बच्चों से संबंधित विभिन्न विभागों/ योजनाओं/संस्थाओं/ विशेषज्ञों आदि की मैपिंग तथा रिसोर्स डायरेक्टरी।<br>• विभिन्न विभागों योजनाओं/संस्थाओं के साथ समन्वय व कनवर्जेन्स्।<br>• जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता। |
| निगरानी तंत्र | • राज्य स्तरीय अधिकारियों/समितियों द्वारा नियमित निरीक्षण/समीक्षा।<br>• जनपद न्यायाधीश द्वारा नियमित निरीक्षण व समीक्षा।<br>• जिलाधिकारी/मंडलायुक्त द्वारा औचक निरीक्षण।<br>• जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण व समीक्षा।<br>• विभिन्न अधिनियमों के अनुरूप दस्तावेजों का रखरखाव।<br>• मासिक रिपोर्ट का संकलन व प्रेषण।<br>• जिलाधिकारी द्वारा कार्यकलापों की त्रैमासिक समीक्षा।<br>• समाप्त किये गये केसों में बच्चे, माता–पिता/अभिभावक, हितगामियों का फीडबैक।<br>• लंबित केसो की समीक्षा। |

## मॉडल बाल सहायक/मैत्री पूर्ण विशेष किशोर पुलिस ईकाई हेतु न्यूनतम मानक

| घटक | आवश्यक मानक |
|---|---|
| 1 | 2 |
| आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) तथा मूलभूत सुविधायें | • बच्चों/माता–पिता/आगन्तुकों हेतु रिसेप्शन एरिया।<br>• ईकाई हेतु पर्याप्त स्थान जहाँ कम से कम ईकाई, बच्चे, प्रस्तुत करने वाले हितगामी और बच्चे के माता–पिता एक साथ बैठक कर बातचीत कर सके।<br>• पर्याप्त मात्रा में कुर्सी व मेज आदि। सभी के बैठने हेतु कुर्सी एक बराबर उंची होनी चाहिये।<br>• ईकाई में बाल सहायक चित्रों/दीवार लेखन आदि। हेल्पलाइन न0 का प्रदर्शन।<br>• विभिन्न प्रकरणों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जानकारी का प्रदर्शन।<br>• एक जोड़ी सिविल ड्रेस/जैकेट की व्यवस्था।<br>• आरामदायक तापमान बनाए रखने हेतु आवश्यकतानुसार ए0सी0 या कूलर। पीने हेतु स्वच्छ बहता गर्म/ठन्डा पानी।<br>• निर्बाध बिजली आपूर्ति, पर्याप्त रोशनी प्रदान करने हेतु गुणवत्तापूर्ण उपकरण व व्यवस्था।<br>सौर ऊर्जा प्रणालियों का प्रयोग। इन्वर्टर या जनरेटर बैकअप।<br>• आग या अन्य आपात स्थिति हेतु अग्नि सुरक्षा उपाय जैसे फायर अलार्म, अग्निशामक यंत्र और आपातकालीन निकास। फायर अलार्म लगाए जाने चाहिए।<br>• नियमित रखरखाव और सफाई सहित उचित वायु प्रवाह और पर्याप्त वेंटिलेशन सिस्टम।<br>• ईकाई के दस्तावेजों के रखरखाव हेतु पर्याप्त अलमारी।<br>• महिला एवं पुरूषों हेतु स्वच्छ व हाइजेनिक शौचालय। छोटे बच्चों या दिव्यांग बच्चों हेतु पृथक व आयु अनुरूप कम उंचाई के शौचालय, वॉशबेसिन व नल।<br>• छोटे व दिव्यांग बच्चों सहित ऐसे स्टाफ जिन्हें सीढ़िया चढ़ने में तकलीफ है, उनके लिये रैंप, व्हीलचेयर–सुलभ प्रवेश द्वार या लिफ्ट।<br>• रिसेपशन एरिया में छोटी लाइब्रेरी तथा सभी आयु के बच्चों के खेलने, पेंटिंग/आर्ट/क्राफ्ट इत्यादि की व्यवस्था।<br>• छोटा किचन चाय–बिस्किट इत्यादि की व्यवस्था।<br>• सी0सी0टी0वी0 कैमरे।<br>• कार्मिकों, बच्चों और माता–पिता/अभिभावकों के मध्य निर्बाध संचार हेतु प्रभावी संचार प्रणालियाँ जैसे फोन/मोबाईल, विडियो कॉलिंग व्यवस्था, हाई स्पीड इंटरनेट।<br>• नोटिस/साफ्ट बोर्ड तथा सुझाव पेटिका। डिजिटल संचार उपकरण, जैसे कम्प्यूटर ईमेल या मैसेजिंग ऐप।<br>• कूडा प्रबंधन व्यवस्था। |

| | |
|---|---|
| | • न्यूजपेपर, आवश्यक स्टेशनरी आदि की व्यवस्था। |
| मानव संसाधन | • बच्चों हेतु क्रियान्वित विभिन्न अधिनियमों तथा मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत प्रस्तावित स्टाफ की 100 प्रतिशत गठन।<br>• विशेष परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार विशेषज्ञों की नियुक्ति/से लिंकेज।<br>• सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति।<br>• प्रत्येक थाने पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति।<br>• बाल कल्याण अधिकारियों को बच्चों के प्रकरणों में अनन्य (एक्सक्लूज़िव) जॉच अधिकारी बनाने की व्यवस्था।<br>• आवश्यकतानुसार महिला अधिकारियों की नियुक्ति। |
| क्षमता वृद्धि तथा संवेदीकरण | • बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों जैसे बाल यौन शोषण, बाल श्रम/भिक्षावृति/तस्करी/विवाह, गुमशुदा, अनाथ, परित्यक्त या उपेक्षित बच्चे तथा विधि से संर्घषरत् बालकों से संबंधित मुद्दों आदि पर क्षमतावर्धन।<br>• बच्चों से संबंधित विभिन्न कानूनों जैसे किशोर न्याय, पॉक्सो, बाल श्रम, बाल विवाह आदि अधिनियमों पर क्षमतावर्धन।<br>• बच्चों से संबंधित विभिन्न योजनाओं, नीतियों, प्रावधानों आदि पर क्षमतावर्धन।<br>• बच्चों के साथ आयु अनुरूप व्यवहार तथा विभिन्न मनोवैज्ञानिक व मनोसामाजिक मुद्दों पर क्षमतावर्धन।<br>• अधिक आयु के बच्चों का कैरियर के अवसरों का मार्गदर्शन करने हेतु क्षमतावर्धन।<br>• बच्चों के साथ काम करने हेतु संवेदीकरण।<br>• ईकाई कार्यालयों में बाल सहायक वातावरण उपलब्ध कराये जाने पर क्षमतावर्धन।<br>• वार्षिक प्रशिक्षण कैलेन्डर। |
| विभिन्न विभागों/योजनाओं संस्थाओं आदि से समन्वय व अभिसरण | • बच्चों से संबंधित विभिन्न विभागों/ योजनाओं/संस्थाओं/ विशेषज्ञों आदि की मैपिंग तथा रिसोर्स डायरेक्टरी।<br>• विभिन्न विभागों योजनाओं/संस्थाओं के साथ समन्वय व कनवर्जेन्स्। |
| निगरानी तंत्र | • राज्य स्तरीय अधिकारियों/द्वारा नियमित अंतराल पर निरीक्षण।<br>• जिलाधिकारी/मंडलायुक्त द्वारा औचक निरीक्षण।<br>• वरिष्ठ/नोडल पुलिस अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण व मासिक समीक्षा।<br>• विभिन्न अधिनियमों के अनुरूप दस्तावेजों का रखरखाव।<br>• मासिक रिपोर्ट का संकलन व प्रेषण।<br>• जिलाधिकारी द्वारा कार्यकलापों की त्रैमासिक समीक्षा।<br>• समाप्त किये गये केसों में बच्चे, माता–पिता/अभिभावक का फीडबैक।<br>• निर्धारित ऐजेन्डा बिन्दुओं पर मासिक समीक्षा बैठक। बैठक में समस्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा। |

## मॉडल बाल सहायक/मैत्री पूर्ण जिला बाल संरक्षण ईकाई हेतु न्यूनतम मानक

| घटक | आवश्यक मानक |
|---|---|
| 1 | 2 |
| आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) तथा मूलभूत सुविधायें | • बच्चों/माता–पिता/आगन्तुकों हेतु रिसेप्शन एरिया।<br>• ईकाई हेतु पर्याप्त स्थान जहॉ कन से कम समिति, बच्चे, प्रस्तुत करने वाले हितगामी और बच्चे के माता–पिता एक साथ बैठक कर बातचीत कर सके।<br>• पर्याप्त मात्रा में कुर्सी व नेज आदि। सभी के बैठने हेतु कुर्सी एक बराबर उंची होनी चाहिये।<br>• ईकाई में बाल सहायक चित्रों/दीवार लेखन आदि। हेल्पलाइन न0 का प्रदर्शन।<br>• विभिन्न प्रकरणों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जानकारी का प्रदर्शन।<br>• आरामदायक तापमान बनाए रखने हेतु आवश्यकतानुसार ए0सी0 या कूलर।<br>• पीने हेतु स्वच्छ बहता गर्म/ठन्डा पानी।<br>• निर्बाध बिजली आपूर्ति, पर्याप्त रोशनी प्रदान करने हेतु गुणवत्तापूर्ण उपकरण व व्यवस्था।<br>सौर ऊर्जा प्रणालियों का प्रयोग। इन्वर्टर या जनरेटर बैकअप।<br>• आग या अन्य आपात स्थिति हेतु अग्नि सुरक्षा उपाय जैसे फायर अलार्म, अग्निशामक यंत्र और आपातकालीन निकास। फायर अलार्म लगाए जाने चाहिए।<br>• नियमित रखरखाव और सफाई सहित उचित वायु प्रवाह और पर्याप्त वेंटिलेशन सिस्टम।<br>• ईकाई के दस्तावेजों के रखरखाव हेतु पर्याप्त अलमारी।<br>• महिला एवं पुरूषों हेतु स्वच्छ व हाइजेनिक शौचालय। छोटे बच्चों या दिव्यांग बच्चों हेतु पृथक व आयु अनुरूप कम उंचाई के शौचालय, वॉशबेसिन व नल।<br>• छोटे व दिव्यांग बच्चों सहित ऐसे स्टाफ जिन्हें सीढ़िया चढ़ने में तकलीफ है, उनके लिये रैंप, व्हीलचेयर–सुलभ प्रवेश द्वार या लिफ्ट।<br>• रिसेपशन एरिया में छोटी लाइब्रेरी तथा सभी आयु के बच्चों के खेलने, पेटिंग/आर्ट/क्राफ्ट इत्यादि की व्यवस्था।<br>• छोटा किचन चाय –बिस्किट इत्यादि की व्यवस्था।<br>• सीसीटीवी कैमरे। कुंजी कार्ड या बायोमेट्रिक सिस्टम।<br>• कार्मिकों, बच्चों और माता–पिता/अभिभावकों के मध्य निर्बाध संचार हेतु प्रभावी संचार प्रणालियाँ जैसे फोन/मोबाईल, विडियो कॉलिंग व्यवस्था, हाई स्पीड इंटरनेट।<br>• नोटिस/साफ्ट बोर्ड तथा सुझाव पेटिका।<br>• डिजिटल संचार उपकरण, जैसे कम्प्यूटर ईमेल या मैसेजिंग ऐप।<br>• कूडा प्रबंधन व्यवस्था।<br>• गार्ड की व्यवस्था। |

| | |
|---|---|
| | • न्यूजपेपर, आवश्यक स्टेशनरी आदि की व्यवस्था। |
| मानव संसाधन | • बच्चों हेतु क्रियान्वित विभिन्न अधिनियमों तथा मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत प्रस्तावित स्टाफ की 100 प्रतिशत नियुक्ति।<br>• विशेष परिस्थितियों के अनुसार विशेषज्ञों की नियुक्ति/से लिंकेज। |
| क्षमता वृद्धि तथा संवेदीकरण | • बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों जैसे बाल यौन शोषण, बाल श्रम/भिक्षावृति/तस्करी/विवाह, गुमशुदा, अनाथ, परित्यक्त या उपेक्षित बच्चे तथा विधि से संघर्षरत् बालकों से संबंधित मुद्दों आदि पर क्षमतावर्धन।<br>• बच्चों से संबंधित विभिन्न कानूनों जैसे किशोर न्याय, पॉक्सो, बाल श्रम, बाल विवाह आदि अधिनियमों पर क्षमतावर्धन।<br>• बच्चों से संबंधित विभिन्न योजनाओं, नीतियों, प्रावधानों आदि पर क्षमतावर्धन। बच्चों के साथ आयु अनुरूप व्यवहार तथा विभिन्न मनोवैज्ञानिक व मनोसामाजिक मुद्दों पर क्षमतावर्धन।<br>• अधिक आयु के बच्चों का कैरियर के अवसरों का मार्गदर्शन करने हेतु क्षमतावर्धन।<br>बच्चों के साथ काम करने हेतु संवेदीकरण।<br>• समिति कार्यालयों में बाल सहायक वातावरण उपलब्ध कराये जाने पर क्षमतावर्धन। वार्षिक प्रशिक्षण कैलेन्डर। |
| विभिन्न विभागों/योजनाओं संस्थाओं आदि से समन्वय व अभिसरण | • बच्चों से संबंधित विभिन्न विभागों/ योजनाओं/संस्थाओं/ विशेषज्ञों आदि की मैपिंग तथा रिसोर्स डायरेक्टरी।<br>• विभिन्न विभागों योजनाओं/संस्थाओं के साथ समन्वय व कनवर्जेन्स्। |
| निगरानी तंत्र | • राज्य/मंडल/जनपद स्तरीय अधिकारियों/द्वारा नियमित अंतराल पर निरीक्षण व समीक्षा।<br>• जिलाधिकारी/मंडलायुक्त द्वारा औचक निरीक्षण।<br>• किशोर न्याय अधिनियम सहित विभिन्न अधिनियमों के अनुरूप दस्तावेजों का रखरखाव।<br>• मासिक रिपोर्ट का संकलन व प्रेषण।<br>• जिलाधिकारी द्वारा कार्यकलापों की त्रैमासिक समीक्षा।<br>• पुर्नवार्सित किये गये केसों में बच्चे, माता–पिता/अभिभावक का फीडबैक। |

संलग्नक – 11

## मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई की संरचना।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पूर्व से ही मिशन वात्सल्य योजना (पूर्व नाम – बाल संरक्षण सेवायें) संचालित है तथा योजना के अंतर्गत कई वर्षों से कार्मिक कार्यरत् है। अतः पूर्व से कार्यरत् समस्त कार्मिक यथावत कार्य करते रहेंगें तथा भविष्य में रिक्तियों को भरे जाने के लिये मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण ईकाई के कार्मिकों की सांकेतिक योग्यतायें निम्नवत् होंगी:

| क्र0 | पद | पात्रता के मापदंड |
|---|---|---|
| 1 | जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डी0सी0पी0ओ0) | • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य / समाजशास्त्र / बाल विकास / मानवाधिकार / लोक प्रशासन / मनोविज्ञान / मनोचिकित्सा / विधि / जन स्वास्थ्य / सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री।<br>• मुख्य रूप से महिला एवं बाल विकास / समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण / कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में सरकारी / गैर सरकारी संगठन के साथ काम करने का का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।<br>• कम्प्यूटर में दक्षता। |
| 2 | संरक्षण अधिकारी (संस्थानिक देखरेख) | • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य / समाजशास्त्र / बाल विकास / मानवाधिकार / लोक प्रशासन / मनोविज्ञान / मनोचिकित्सा / विधि / जन स्वास्थ्य / सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री<br>अथवा<br>• मुख्य रूप से महिला एवं बाल विकास / समाज कल्याण के क्षेत्र में परियोजना निर्माण / कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में 2 वर्ष के अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य / समाजशास्त्र / बाल विकास / मानवाधिकार / लोक प्रशासन / मनोविज्ञान मनोचिकित्सा / विधि / जन स्वास्थ्य / सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातक<br>• कम्प्यूटर में दक्षता। |
| 3 | संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थानिक देखरेख) | • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य / समाजशास्त्र / बाल विकास / मानवाधिकार / लोक प्रशासन / मनोविज्ञान / मनोचिकित्सा / विधि / जन स्वास्थ्य / सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री<br>अथवा<br>• मुख्य रूप से महिला एवं बाल विकास / समाज कल्याण के क्षेत्र |

| | | |
|---|---|---|
| | | में परियोजना निर्माण/कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में 2 वर्ष के अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य/समाजशास्त्र/बाल विकास /नानवाधिकार/लोक प्रशासन/मनोविज्ञान मनोचिकित्सा/ विधि/जन स्वास्थ्य/सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातक।<br>• कम्प्यूटर में दक्षता। |
| 4 | विधिक–सह–परिवीक्षा अधिकारी (एलसीपीओ) | • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एल0एल0बी0<br>• मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के क्षेत्र में सरकारी/एन0जी0ओ0/विधिक मामलों में काम करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।<br>• महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और संरक्षण के मुद्दों की अच्छी समझ। |
| 5 | काउंसलर | • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य/समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/जन स्वास्थ्य/ काउंसलिंग में स्नातक।<br>अथवा<br>• काउंसलिंग और संचार में पी0जी0 डिप्लोमा।<br>• महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सरकारी/एन0जी0ओ0 के साथ काम करने का कम से कम वर्ष का अनुभव।<br>• कंप्यूटर में दक्षता। |
| 6 | सामाजिक कार्यकर्ता | • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य/समाजशास्त्र/सामाजिक विज्ञान में बी0ए0 में स्नातक।<br>• ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी जिनके पास कार्य अनुभव होगा।<br>• कंप्यूटर में दक्षता। |
| 7 | लेखाकार | • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य/गणित में स्नातक की डिग्री।<br>• संबंधित क्षेत्र में काम करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव।<br>• कंप्यूटर कौशल और टैली पर ज्ञान। |
| 8 | डाटा विश्लेषक | • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/गणित/अर्थशास्त्र/कंप्यूटर (बी0सी0ए0) में स्नातक।<br>• ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी जिनके पास कार्य अनुभव होगा।<br>• कंप्यूटर में दक्षता। |
| 9 | सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर | • कम्प्यूटर में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष बोर्ड से 12वीं पास। |

| | | |
|---|---|---|
| | (डी0सी0पी0यू0) | • ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी जिनके पास कार्य अनुभव होगा। |
| 10 | आउटरीच वर्कर (ओआरडब्ल्यू) | • किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष बोर्ड से 12वीं पास।<br>• अच्छा संचार कौशल।<br>• ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी जिनके पास कार्य अनुभव होगा। |

## जिला बाल संरक्षण इकाई की भूमिका एवं कार्यदायित्वः

**संरक्षण अधिकारी (संस्थानिक देखरेख):**

- डी0सी0पी0ओ0 के पर्यवेक्षण में संरक्षण अधिकारी (संस्थानिक देखरेख) जिला और स्थानीय स्तर पर देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों से संबंधित बाल संरक्षण कार्यक्रमों और नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।
- वह देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद सभी बच्चों के लिए जिला स्तर पर संस्थानिक/आवासीय देखरेख सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार होंगे।
- प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक संरक्षण अधिकारी और अधिकतम 3 संरक्षण अधिकारी (संस्थानिक देखरेख) होंगे, जो जिले में ब्लॉकों की संख्या, उसके भौगोलिक विस्तार और केस लोड पर आधारित होगा।
- यदि बाल कल्याण समिति के पास केस लोड अधिक होगा तो राज्य सरकार समिति में एक पूर्णकालिक संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। संरक्षण अधिकारी (संस्थानिक देखरेख) की विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियॉं निम्न होंगी:
  - बच्चों को निराश्रित होने से बचाने के लिए जोखिम ग्रस्त परिवारों और बच्चों की पहचान करना और अपने अधीन आउटरीच कार्यकर्ता की मदद से काउंसलिंग, स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा, व्यावसायिक कौशल आदि तक पहुंच जैसी आवश्यक सहायता सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था करना/प्रदान करना।
  - कठिन परिस्थितियों के शिकार बच्चों की स्थिति का विश्लेषण करना, सहायता के जरूरतमंद बच्चों की संख्या, संस्थाओं में रह रहे बच्चों की संख्या और उनके लिए आवश्यक सेवाओं के प्रकार के संदर्भ में बाल संरक्षण से जुड़ी समस्याओं के विभिन्न आयामों पर डाटा एकत्रित और संकलित करना।
  - संसाधनों का मानचित्रण करना और एकत्रित डाटा के आधार पर जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण योजना तथा बच्चों से संबंधित सेवाओं संसाधन निर्देशिका विकसित करना।
  - जनपदों में खुले आश्रयों सहित सभी संस्थानिक देखरेख कार्यक्रमों की बाल ट्रैकिंग प्रणाली की स्थापना और प्रबंधन का कार्य सुनिश्चित करना।
  - बच्चों की परिवार में पुर्नसमेकन और पूछताछ की प्रक्रिया में समिति की मदद करना।
  - किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अतर्गत बच्चों को आश्रय देने वाले सभी बाल देखरेख संगठनों/संस्थानों/एजेंसियों का पंजीकरण सुनिश्चित करना।

- बच्चों को आश्रय देने वाले सरकारी और एन0जी0ओ0 द्वारा संचालित सभी बाल देखरेख संगठनों/संस्थानों/एजेंसियों, (सहायता के साथ या बगैर) का पर्यवेक्षण और निगरानी तथा देखरेख के न्यूनतम मानकों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- जिला स्तर पर कार्यान्वित किए जा रहे अन्य बाल कल्याण एवं संरक्षण कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण और निगरानी।
- प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान करना और राज्य बाल संरक्षण सोसायटी के समन्वय में जिला स्तर पर संस्थानिक देखरेख में शामिल कार्मिकों (सरकारी और गैर–सरकारी दोनों) के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की व्यवस्था करना।
- सुनिश्चित करना कि गृहों द्वारा सभी बच्चों के दस्तावेज जैसे कि जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, स्कूल जाने का प्रमाणपत्र, टीकाकरण प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य जांच कार्ड आदि उपलब्ध कराए जाते हैं।
- सुनिश्चित करना कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत गृहों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया जाता है और समय पर अपडेट किया जाता है तथा किशोर न्याय अधिनियम/नियमावली में निर्धारित देखरेख के मानकों के अनुसार नए गृहों का पंजीकरण कराना।
- सुनिश्चित करना कि गृहों का संचालन करने वाले एन0जी0ओ0 नीति आयोग द्वारा अनुरक्षित दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत हैं और विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफ0सी0आर0ए0) सहित सभी सरकारी निबंधनों का पालन करते हैं।
- उनकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए गृहों (वित्त पोषित और गैर– वित्त पोषित) का संचालन करने वाले सभी एनजीओ के स्टाफ की पृष्ठभूमि का सत्यापन सुनिश्चित करना।
- सीसीआई का मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना और डीसीपीयू को प्रस्तुत करना;
- मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डी0सी0पी0ओ0/विभाग द्वारा सौंपें गये कोई अन्य कार्य ।

संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थानिक देखरेख)

- डी0सी0पी0ओ0 के पर्यवेक्षण में संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थानिक देखरेख) मिशन वात्सल्य के प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप), पालक देखभाल (फॉस्टर केयर), पाश्चातवर्ती देखभाल (ऑफ्टरकेयर), दत्तकग्रहण/गोद और क्रैडल बेबी योजना के गैर–संस्थानिक घटकों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।
- प्रत्येक जिले में ब्लॉकों की संख्या, जिले के भौगोलिक विस्तार और बच्चों की आबादी के आधार पर अधिकतम 3 संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थानिक देखरेख) होंगे।
- संरक्षण अधिकारी (गैर– संस्थानिक देखरेख) की विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियाँ निम्न होंगी:

  - बच्चों को निराश्रित होने से बचाने के लिए जोखिमग्रस्त परिवारों और बच्चों की पहचान करना और जहां आवश्यकता हो, गैर–संस्थानिक देखरेख के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करना/प्रदान करना।

- जिले से दत्तकग्रहण के योग्य बच्चों की पहचान करने में जिलाधिकारी की सहायता करना और दत्तक ग्रहण के योग्य बच्चों का जिला स्तरीय डेटाबेस तैयार करना।
- निम्नलिखित के माध्यम से एस0ए0ए0 के सहयोग से जिले में दत्तकग्रहण को बढ़ावा देना और सुगम बनानाः
  क) अंतःदेशीय दत्तकग्रहण के लिए दत्तकग्रहण के योग्य बच्चों और भावी माता–पिता (पी0ए0पी0) का पंजीकरण करना और उनका डेटाबेस अनुरक्षित करना।
  ख) जिले में अंतःदेशीय दत्तकग्रहण को बढ़ावा देना।
  ग) दत्तकग्रहण नियोजन की निगरानी करना और सुनिश्चित करना कि एस0ए0ए0 नियोजन पश्चात सहायता और अनुवर्तन प्रदान करते हैं।
- सुनिश्चित करना कि सभी बाल देखरेख संस्थाओं में दत्तकग्रहण के योग्य सभी बच्चों को दत्तकग्रहण प्रणाली के अंतर्गत लाया जाता है।
- प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप), पालक देखभाल (फॉस्टर केयर), पाश्चातवर्ती देखभाल (ऑफ्टरकेयर), कार्यक्रमों के माध्यम से परिवार आधारित गैर–संस्थानिक देखरेख संचालित करना।
- संसाधनों का मानचित्रण करना और एकत्रित डाटा के आधार पर जिला स्तर पर गैर–संस्थानिक देखरेख के लिए जिला बाल संरक्षण योजना और बच्चों से संबंधित सेवाओं की संसाधन निर्देशिका तैयार करना।
- जिले में वात्सल्य सहित विभिन्न पोर्टलों पर बच्चों के ब्यौरे अपलोड करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना।
- बच्चों की परिवार में पुर्न समेकन और पूछताछ की प्रक्रिया में समिति की मदद करना।
- जिले में एस0ए0ए0 सहित सभी बाल देखरेख संस्थानों का पर्यवेक्षण और निगरानी करना।
- बच्चों को गैर–संस्थानिक सेवा प्रदान करने में शामिल सभी कार्मिकों (सरकारी और गैर–सरकारी) के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए एस0ए0आर0ए0 और एस0सी0पी0एस0 के साथ समन्वय करना।
- जिले में दत्तकग्रहण कार्यक्रम की स्थिति पर एस0ए0आर0ए0 को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डी0सी0पी0ओ0/विभाग द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

विधि सह परिवीक्षा अधिकारी

- विधि–सह–परिवीक्षा अधिकारी डी0सी0पी0ओ0 के पर्यवेक्षण में काम करेंगे।
- वह विधि से संर्घषरत् बच्चों से संबंधित सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों का समन्वय और पर्यवेक्षण करेंगे।
- वह जिला स्तर पर किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति को सहायता प्रदान करेंगे।

- प्रत्येक जिले में अधिकतम एक विधि सह परिवीक्षा अधिकारी होंगे और ब्लॉकों की संख्या, जिले के भौगोलिक विस्तार और केस लोड के आधार पर विधिक–सह–परिवीक्षा अधिकारियों की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है।
- अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त परिवीक्षा अधिकारी, जहां उपलब्ध हों, विधिक–सह–परिवीक्षा अधिकारी के रूप में भी काम कर सकते हैं।
- यदि किशोर न्याय बोर्ड के पास केस लोड अधिक हो तो राज्य सरकार बोर्ड में एक पूर्णकालिक विधिक–सह–परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। उनकी विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों निम्न होंगी:
  - जिले में किशोर अपराध के आयामों पर डाटा एकत्रित और संकलित करना।
  - बोर्ड की कार्यवाही में नियमित रूप से भाग लेना।
  - जांच करने में बोर्ड की सहायता करना।
  - सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करना और प्रस्तुत करना।
  - केस फाइल और अन्य रजिस्टर तैयार करना।
  - बोर्ड से विधि से संर्घषरत् बच्चों को किसी गृह/फिट पर्सन/फिट इंस्टीट्यूशन में ले जाना।
  - पर्यवेक्षण के अधीन और रिहाई के बाद विधि से संर्घषरत् बच्चों से अनुवर्ती मुलाकातें करना।
  - विधि से संर्घषरत् बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण को सुगम बनाने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ संबंध स्थापित करना।
  - मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डी0सी0पी0ओ0/विभाग द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
  - विधिक–सह–परिवीक्षा अधिकारी की विधिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए और उन्हें बच्चों के अधिकारों और संरक्षण के मुद्दों की अच्छी समझ होनी चाहिए।
  - वह बच्चों/ विधि से संर्घषरत् बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
  - वह आवश्यकता के अनुसार किशोर न्याय अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी बच्चों से संबंधित कानूनी मामलों में समिति और बोर्ड को आवश्यक सहायता भी प्रदान करेंगे।

काउंसलर

- जिले स्तर पर प्रत्येक बाल संरक्षण इकाई में विधि से संर्घषरत् बच्चों और देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के साथ–साथ उनके माता–पिता और परिवारों को काउंसलिंग की सेवाएं प्रदान करने के लिए एक काउंसलर होगा।
- काउंसलर आवश्यकता के अनुसार जिला स्तर पर समिति और बोर्ड के साथ भी काम करेगा।
- जिला बाल संरक्षण इकाई में काउंसलर संस्थानों के काउंसलर का पर्यवेक्षण करने और जिला बाल संरक्षण इकाई के संपर्क में आने वाले बच्चों और परिवारों को काउंसलिंग सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

## सामाजिक कार्यकर्ता

- प्रत्येक बाल संरक्षण इकाई में दो सामाजिक कार्यकर्ता (कम से कम एक महिला) होंगे, जो डी0सी0पी0ओ0 द्वारा सौंपे गए ब्लॉकों के अपने–अपने कलस्टर में फील्ड स्तरीय गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार होंगे।
- फील्डस्तरीय कार्यक्रमों को लागू करने के लिए आउटरीच वर्कर द्वारा इन सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद की जाएगी।

## डेटा विश्लेषक

- जिला स्तर पर प्रत्येक बाल संरक्षण इकाई में सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करके डाटा की व्याख्या करने, परिणामों का विश्लेषण करने के लिए एक डाटा विश्लेषक होगा।
- वह डाटा विश्लेषण, डाटा संग्रह की प्रणालियों और अन्य रणनीतियों का विकास करेगा और लागू करेगा जिससे सांख्यिकीय दक्षता और गुणवत्ता इष्टतम होगी।
- डाटा विश्लेषक को प्राथमिक या माध्यमिक डाटा सोतों से डाटा प्राप्त करना होगा और जिला बाल संरक्षण इकाई में जिले का डाटाबेस अनुरक्षित करना होगा।
- डाटा विश्लेषक को प्रत्येक जिले के लिए डाटा संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं को रेखांकित करने और मिशन के अंतर्गत जिला कार्य योजना तैयार करने के लिए डी0सी0पी0ओ0 के साथ काम करना।

## सहायक सह डेटा एन्ट्री ऑपरेटर

- जिला स्तर पर प्रत्येक बाल संरक्षण इकाई में समय–सीमा के भीतर जिला बाल संरक्षण इकाई के डाटा की प्रविष्टि और अनुरक्षित करने के लिए एक सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (ए0डी0ई0ओ0) होगा।
- प्रत्येक ए0डी0ई0ओ0 को कम्प्यूटर में प्रविष्टि के लिए स्रोत डाटा तैयार करने के लिए सूचना के संकलन, सत्यापन, सटीकता और छटाई का सुनिश्चित करना होगा और त्रुटियों या खामियों के लिए डाटा की समीक्षा करनी होगी।किसी विसंगति को दुरुस्त करना होगा और आउटपुट की जांच करनी होगी।
- ए0डी0ई0ओ0 को रिपोर्ट तैयार करने के लिए डाटा प्रोग्राम की तकनीकों और प्रक्रियाओं को लागू करना होगा, निर्धारित लोकेशन पर पूरे किए गए कार्य को स्टोर करना होगा और बैकअप संचालन करना होगा, दस्तावेजों को स्कैन करना होगा और आवश्यकता पड़ने पर फाइलों को प्रिंट करना होगा, सूचना को गोपनीय रखना होगा।

## लेखाकार

- जिला स्तर पर प्रत्येक बाल संरक्षण इकाई में जिला बाल संरक्षण इकाई, समिति और बोर्ड सहित मिशन के अंतर्गत सभी संरचनाओं का जिला स्तर पर लेखा तैयार करने के लिए एक लेखाकार होगा।

## आउटरीच वर्कर

- जिला स्तर पर प्रत्येक बाल संरक्षण इकाई में दो आउटरीच वर्कर होंगे, जो संरक्षण अधिकारियों तथा विधिक–सह–परिवीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।
- प्रत्येक आउटरीच वर्कर अपने संबंधित अधिकारी की मदद करेगा जिससे वे अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें।
- जिले में ब्लॉकों की संख्या, भौगोलिक विस्तार, आबादी और केस लोड के आधार पर आउटरीच वर्कर की संख्या अधिकतम पांच तक बढ़ाई जा सकती है।
- वे समुदाय और जिला बाल संरक्षण इकाई के बीच कड़ी के रूप में काम करेंगे और जोखिमग्रस्त परिवारों और बच्चों तथा अन्य आवश्यक सहायता सेवाओं की पहचान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- आउटरीच वर्कर समुदाय ब्लॉक के स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों तथा पंचायत/स्थानीय निकाय के सदस्यों के साथ अच्छा नेटवर्क और संबंध विकसित करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।
- उन्हें स्थानीय युवाओं में स्वैच्छिक सेवा भाव को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा ब्लॉक और समुदाय के स्तर पर बाल संरक्षण कार्यक्रम में उनको शामिल करना चाहिए।

संलग्नक – 12

जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के अध्यक्ष की भूमिका में जिलाधिकारी का निम्नवत् दायित्व है:

- जिला बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष की भूमिका में, मिशन वात्सल्य के क्रियान्वयन व समग्र पर्यवेक्षण का दायित्व जिलाधिकारी पर होगा।
- जनपद में बाल कल्याण, बाल अधिकार और बाल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु सुसंगत कानूनों और प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुगम बनाऐंगें।
- समय–समय पर यथा संशोधित किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम व नियमों के अंतर्गत दिए गए कार्य का निर्वहन करायेंगें।
- वार्षिक आधार पर कठिन परिस्थितियों व जोखिमपूर्ण परिस्थितियों वाले बच्चों के संदर्भ में आवश्यकता आंकलन व रिर्सोस मैपिंग सुनिश्चित करायेंगें।
- बच्चों की उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण और भागीदारी हेतु जिला बाल कल्याण और संरक्षण समिति के सदस्यों सहित अन्य विशेषज्ञों के परामर्श उपरांत वार्षिक बाल संरक्षण कार्य योजना तैयार करेंगें तथा प्रत्येक तिमाही में इसकी प्रगति की समीक्षा करेंगें।
- बच्चों के परिवार में पुर्नमिलन, पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण हेतु राज्य सरकार, अन्य जनपदों और एजेंसियों के साथ आवश्यक संचार व समन्वय।
- विभिन्न योजनाओं का लाभ बच्चों व परिवारों को प्राप्त हो, इस हेतु नवाचारों की शुरूवात।
- बाल देखरेख संस्थाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता हेतु प्रयास, बाल देखरेख संस्थाओं के औचक निरीक्षण, बच्चों की पूरक शिक्षा, चिकित्सा, देखभाल, करियर परामर्श सुविधा, तथा कौशल प्रशिक्षण, आदि के संदर्भ में आवश्यक सुझाव व निर्देश।
- बच्चों की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु स्पॉन्सरशिप, छात्रवृत्ति या ऋण को सुगम बनाना।
- बाल देखभाल संस्थाओं, पुलिस थानों और बच्चों की अधिक आबादी वाले अन्य स्थानों पर सुझाव पेटी लगवाना सुनिश्चित करना और प्राप्त शिकायतों और सुझावों पर उचित कार्यवाही की व्यवस्था करवाना।
- बाल कल्याण समिति के कार्यो की समीक्षा कर आवश्यक संस्तुतियॉं।
- स्पॉन्सरशिप, फॉस्टरकेयर, आफ्टरकेयर तथा एडॅप्शन कार्यक्रम की निरंतर समीक्षा।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों, स्वंयसेवी संस्थाओं और अन्य हितधारकों की भागीदारी और योगदान को प्रोत्साहित करना।
- बच्चों के प्रति अपराधों को रोकने हेतु रणनीति निर्धारण।
- विभिन्न विभागों के मध्यम कन्वर्जेन्स्/अभिसरण की प्लानिंग व कार्यवाही।
- योजना अंतर्गत शिकायत निवारण प्राधिकारी की भूमिका का निर्वहन।